



भारतीय रिजर्व बैंक

----- RESERVE BANK OF INDIA -----

www.rbi.org.in

भारिवै /2012-13 / 93

ग्राआकृति.सं.एमएसएमइ एण्ड एनएफएस.बीसी. 11/ 06.02.31/2012-13

2 जुलाई 2012

अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदय ,

मास्टर परिपत्र

माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमइ) क्षेत्र को उधार

जैसा कि आपको ज्ञात है, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को उधार से संबंधित मामलों में समय-समय पर दिशा-निर्देश/अनुदेश/निदेश जारी किए हैं। बैंकों को सभी वर्तमान अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के प्रयोजन से उपर्युक्त विषय पर विद्यमान दिशा-निर्देशों/अनुदेशों/निदेशों को समाहित करते हुए एक मास्टर परिपत्र तैयार किया गया है जो संलग्न है। इस मास्टर परिपत्र में, परिशिष्ट में सूचीबद्ध किए हुए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 30 जून 2012 तक जारी वाणिज्य बैंकों द्वारा माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को उधार देने से संबंधित उन सभी अनुदेशों को समेकित किया गया है।

2. कृपया प्राप्ति सूचना दें।

भवदीय

(सी. डी. श्रीनिवासन)

मुख्य महाप्रबंधक

ग्रामीण आयोजना और क्रष्ण विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, 10 वी मंजिल, केन्द्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगतसिंह मार्ग, पोस्ट बाक्स सं. 10014, मुंबई-400 001
फोन : 2266 1602 फैक्स: 2262 1011/2261 0943/2261 0948 ई-मेल : cgmincrpcd@rbi.org.in

Rural Planning & Credit Dept., Central Office, 10th Floor, Central Office Building, Shahid Bhagat Singh Marg, P.Box No. 10014, Mumbai 400 001

Tel : 2266 1602 Fax : 2262 1011/2261 0943/2261 0948 E-mail : cgmincrpcd@rbi.org.in

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए।

खण्ड – I

माइक्रो , लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमइडी) अधिनियम, 2006

भारत सरकार ने दिनांक 16 जून 2006 को माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमइडी) अधिनियम, 2006 बनाया है जिसे 2 अक्टूबर 2006 को अधिसूचित किया गया। एमएसएमइडी अधिनियम, 2006 लागू हो जाने से जो स्पष्ट परिवर्तन आया है वह है उक्त क्षेत्र में मध्यम उद्यमों को सम्मिलित करने के अलावा माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम की परिभाषा में सेवा क्षेत्र को शामिल करना है। माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमइडी) अधिनियम, 2006 ने विनिर्माण या उत्पादन तथा सेवाएं उपलब्ध या प्रदान करने में लगे माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम की परिभाषा आशोधित की है। रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को परिवर्तन के बारे में सूचित कर दिया है। इसके साथ ही, अधिनियम में दी गई परिभाषा को, रिजर्व बैंक के दिनांक 4 अप्रैल 2007 के परिपत्र ग्राआक्रृति.पीएलएनएफएस.बीसी.सं. 63/06.02.31/2006-07 के अनुसार बैंक ऋण के प्रयोजनों के लिए अपनाया गया है।

1. माइक्रो , लघु और मध्यम उद्यम की परिभाषा

(क) नीचे विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार वस्तुओं के विनिर्माण, प्रसंस्करण या परिरक्षण के कार्य में लगे उद्यम :

- i) माइक्रो उद्यम एक ऐसा उद्यम है जिसका संयंत्र और मशीनों में निवेश 25 लाख रुपए से अधिक न हो;
- ii) लघु उद्यम एक ऐसा उद्यम है जिसका संयंत्र और मशीनों में निवेश 25 लाख रुपए से अधिक हो परंतु 5 करोड़ रुपए से अधिक न हो ; तथा
- iii) मध्यम उद्यम एक ऐसा उद्यम है जिसका संयंत्र और मशीनों में निवेश 5 करोड़ रुपए से अधिक हो परंतु 10 करोड़ रुपए से अधिक न हो।

उपर्युक्त उद्यमों के मामले में, संयंत्र और मशीनों में निवेश वह मूल लागत है जिसमें भूमि और भवन तथा लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा दिनांक 5 अक्टूबर 2006 की अधिसूचना सं. एसओ.1722 (इ) में निर्दिष्ट मद शामिल नहीं हैं (अनुबंध 1)।

(ख) सेवाएं उपलब्ध कराने अथवा प्रदान करने में लगे उद्यम एवं जिनका उपकरणों में निवेश (भूमि और भवन तथा फर्नीचर, फिटिंग्स और ऐसी अन्य मदों को, जो प्रदान की जाने वाली सेवाओं से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं हैं या एमएसएमइडी अधिनियम, 2006 में यथा अधिसूचित मदों को छोड़कर मूल लागत) नीचे विनिर्दिष्ट किया गया है :

- (i) माइक्रो उद्यम वह उद्यम है जिसका उपकरणों में निवेश 10 लाख रुपए से अधिक न हो ;
- (ii) लघु उद्यम वह उद्यम है जिसका उपकरणों में निवेश 10 लाख रुपए से अधिक हो परंतु 2 करोड़ रुपए से अधिक न हो; और
- (iii) मध्यम उद्यम वह उद्यम है जिसका उपकरणों में निवेश 2 करोड़ रुपए से अधिक हो परंतु 5 करोड़ रुपए से अधिक न हो।

इनमें - छोटे सड़क और जल मार्ग परिवहन परिचालक, छोटे कारोबार, व्यवसायी एवं स्वनियोजित व्यक्ति तथा अन्य सेवा उद्यम शामिल होंगे।

बैंकों द्वारा मध्यम उद्यमों को दिए गए ऋण को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत अग्रिमों की गणना के लिए शामिल नहीं किया जाएगा।

(iv) चूँकि एमएसएमई अधिनियम, 2006 में उसी व्यक्ति / कंपनी द्वारा स्थापित भिन्न-भिन्न उद्यमों के निवेशों को सूक्ष्म (माइक्रो), लघु और मध्यम उद्यमों के रूप में वर्गीकरण के प्रयोजनार्थ एक साथ मिलाने (क्लब करने) का प्रावधान नहीं है, इसलिए औद्योगिक उपक्रमों के लघु उद्योग के रूप में वर्गीकरण के प्रयोजन हेतु एक ही स्वामित्व के दो या अधिक उद्यमों के निवेशों को एक साथ मिलाने के संबंध में 1 जनवरी 1993 की गजट अधिसूचना सं. एस.ओ. 2 (ई) को 27 फरवरी 2009 की भारत सरकार की अधिसूचना सं. एस.ओ. 563 (ई) के द्वारा रद्द कर दिया गया है।

खादी और ग्राम उद्योग क्षेत्र (केवीआई)

खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र की इकाइयों को, परिचालनों के आकार, अवस्थिति तथा संयंत्र और मशीनरी में मूल निवेश की राशि पर ध्यान दिए बिना प्रदत्त सभी अग्रिम प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अग्रिम के अंतर्गत शामिल होंगे तथा एमएसई क्षेत्र के अंतर्गत सूक्ष्म (माइक्रो) उद्यम हेतु नियत उप-लक्ष्य (60 प्रतिशत) के अधीन विचार करने के लिए पात्र होंगे।

अप्रत्यक्ष वित्त

- 1.2.1 ऐसे व्यक्ति जो कारीगरों, ग्राम एवं कुटीर उद्योगों को निविष्टियों की आपूर्ति तथा उनके उत्पादनों के विपणन का कार्य कर विकेंद्रित क्षेत्र की सहायता कर रहे हों।
- 1.2.2 विकेंद्रित अर्थात् कारीगरों, ग्राम एवं कुटीर उद्योगों के क्षेत्र में उत्पादकों की सहकारी संस्थाओं को अग्रिम।
- 1.2.3 व्यष्टि और लघु उद्यम (विनिर्माण तथा सेवा) को आगे उधार देने हेतु व्यष्टि वित्त संस्थानों को 1 अप्रैल 2011 को या उसके बाद प्रदान ऋण वशर्ते "प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार" पर दिनांक 2 जुलाई 2012 के मास्टर परिपत्र ग्राआक्रृति.केका.प्लान.बीसी. 12/04.09.01/2012-13 में निर्धारित दिशा-निर्देशों का अनुपालन हो।

निधि-विनियोजन के कतिपय प्रकार जो प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के पात्र हैं

2.1 निवेश

2.1.1 प्रतिभूतिकृत आस्तियां

बैंकों द्वारा प्रतिभूतिकृत ऐसी आस्तियों में किए गए निवेश, जो प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के विभिन्न श्रेणियों को दिए गए ऋणों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अंतर्निहित आस्तियों के आधार पर प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के संबंधित वर्ग में (प्रत्यक्ष या परोक्ष) में वर्गीकृत किए जाने के पात्र होंगे

बशर्ते प्रतिभूतिकृत आस्तियां बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रारंभ की गई हों तथा प्रतिभूतिकरण से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं को पूरा करती हों। इसका यह अर्थ होगा कि प्रतिभूतिकृत आस्तियों की उक्त श्रेणियों में बैंक के निवेश प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र की संबंधित श्रेणियों में वर्गीकरण की पात्र तभी होंगे जब प्रतिभूतिकृत अग्रिम प्रतिभूतिकरण से पहले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत किए जाने के लिए पात्र रहे हों।

2.1.2 प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाने की पात्र किसी ऋण आस्ति की एकमुश्त खरीद प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष) के संबंधित वर्गों में वर्गीकरण के लिए पात्र होगी बशर्ते, खरीदे गए ऋण प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाने के लिए पात्र हों ; ऋण आस्तियां विक्रेता के आश्रय बिना बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से (पूरी सावधानी से और उचित मूल्य पर) क्रय किए गए हो और पात्र ऋण आस्तियों का खरीद की तारीख से छःमाह की अवधि के अन्दर, चुकौती के एक उपाय से भिन्न रूप में, निस्तारण नहीं किया गया हो।

2.1.3 बैंकों द्वारा जोखिम में हिस्सेदारी के आधार पर अंतर बैंक सहभागिता प्रमाणपत्र (आईबीपीसी) में किए गए निवेश प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के संबंधित वर्गों में वर्गीकरण के लिए पात्र होगा बशर्ते अंतर्निहित आस्तियां प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र की संबंधित श्रेणियों में वर्गीकृत किए जाने की पात्र हों और वे निवेश की तारीख से कम से कम 180 दिवस के लिए धारित की गई हों।

2.2 लघु उद्यम वित्तीय केन्द्रों की (एसईएफसी) योजना :

वार्षिक नीति वक्तव्य 2005-06 में गवर्नर महोदय द्वारा की गई घोषणा के अनुसार लघु उद्योग मंत्रालय और बैंकिंग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, सिडबी, आईबीए और चुनिंदा बैंकों के परामर्श से समूहों में स्थिति बैंकों और सिडबी की शाखाओं के बीच "लघु उद्यम वित्तीय केंद्र" नामक कार्यनीतिक सहयोग की एक योजना तैयार की गई है और कार्यान्वयन हेतु 20 मई 2011 को सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को परिचालित की गई है। सिडबी ने अब तक 15 बैंकों (बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, येस बैंक, बैंक ऑफ बडौदा, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब नेशनल बैंक, देना बैंक, आंध्रा बैंक, इंडियन बैंक, कार्पोरेशन बैंक, आइडीबीआई बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, तथा फेडरल बैंक) के साथ समझौता ज्ञापन संपादित किया है। वर्तमान सिडबी शाखाओं द्वारा किये गये माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम समूहों की सूची अनुबंध II में प्रस्तुत है।

खंड III

घरेलू वाणिज्य बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले उधार का लक्ष्य

3.1 घरेलू वाणिज्य बैंक के लिए लक्ष्य

- 3.1.1 घरेलू वाणिज्य बैंकों से यह अपेक्षा है कि वे प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को देय ऋण में वृद्धि करें और यह सुनिश्चित करें कि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अग्रिम (जिसमें माइक्रो और लघु उद्यम क्षेत्र शामिल है), समायोजित निवल बैंक ऋण का 40% या तुलन-पत्र से इतर एक्सपोज़र के बराबर ऋण राशि, में से जो भी अधिक हो, के बराबर हों।
- 3.1.2 एमएसएमई पर प्रधानमंत्री टास्क फोर्स की सिफारिशों के अनुसार बैंकों को व्यष्टि और लघु उद्यमों को ऋण में 20 प्रतिशत वर्षानुवर्ष संवृद्धि तथा व्यष्टि उद्यम खातों की संख्या में 10 प्रतिशत की वार्षिक संवृद्धि प्राप्त करने हेतु सूचित किया गया है।
- 3.1.3 एमएसई क्षेत्र के भीतर व्यष्टि उद्यमों को पर्याप्त ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि -
- (क) एमएसई क्षेत्र हेतु नियत कुल अग्रिम का 40 प्रतिशत ऐसे माइक्रो (विनिर्माण) उद्यम जिनका संयंत्र और मशीनरी में 5 लाख रुपये तक का निवेश हो, तथा ऐसे माइक्रो (सेवा) उद्यम जिनका उपस्कर में 2 लाख रुपए तक का निवेश हो, को दिया जाना चाहिए;
 - (ख) एमएसई क्षेत्र के लिए नियत कुल अग्रिम का 20% ऐसे माइक्रो (विनिर्माण) उद्यम जिनका संयंत्र और मशीनरी में किया गया निवेश 5 लाख रुपए से अधिक और 25 लाख रुपए तक हो; तथा माइक्रो (सेवा) उद्यम जिनका उपस्कर में किया गया निवेश 2 लाख रुपए से अधिक और 10 लाख रुपए तक हो, को दिया जाना चाहिए। इस तरह एमएसई अग्रिमों का 60% व्यष्टि उद्यमों को जाना चाहिए।
 - (ग) जबकि प्रधानमंत्री टास्क फोर्स की सिफारिशों के अनुसार बैंकों को उपर्युक्तानुसार 60% लक्ष्य प्राप्त करने हेतु सूचित किया गया, व्यष्टि उद्यमों को एमएसई अग्रिमों का 60% आबंटन चरणों में प्राप्त किया जाना है अर्थात् वर्ष 2010-11 में 50%, वर्ष 2011-12 में 55% तथा वर्ष 2012-13 में 60%।

3.2 विदेशी बैंकों के लिए निर्धारित लक्ष्य

- 3.2.1 विदेशी बैंकों से अपेक्षित है कि वे प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण बढ़ाएं तथा यह सुनिश्चित करें कि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अग्रिम (जिनमें एमएसई क्षेत्र शामिल है) में समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 32% या तुलन पत्र से इतर एक्सपोज़र के बराबर ऋण राशि, इनमें से जो भी अधिक हो, शामिल होना चाहिए।
- 3.2.2 विदेशी बैंकों द्वारा अर्जित किये जाने वाले 32% लक्ष्य की समग्र सीमा में ही एमएसई क्षेत्र को देय अग्रिम समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 10 प्रतिशत या तुलन-पत्र से इतर एक्सपोज़र के बराबर ऋण राशि, इनमें से जो भी अधिक हो, नहीं होना चाहिए।

3.2.3 एमएसई पर प्रधानमंत्री टास्क फोर्स की सिफारिशों के अनुसार बैंकों को व्यष्टि और लघु उद्यमों को ऋण में 20 प्रतिशत वर्षानुवर्ष संवृद्धि तथा व्यष्टि उद्यम खातों की संख्या में 10 प्रतिशत की वार्षिक संवृद्धि प्राप्त करने हेतु सूचित किया गया है।

3.2.4 एमएसई क्षेत्र के भीतर व्यष्टि उद्यमों को पर्यास ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि -

(क) एमएसई क्षेत्र हेतु नियत कुल अग्रिम का 40 प्रतिशत ऐसे माइक्रो (विनिर्माण) उद्यम जिनका संयंत्र और मशीनरी में 5 लाख रुपये तक का निवेश हो, तथा ऐसे माइक्रो (सेवा) उद्यम जिनका उपस्कर में 2 लाख रुपए तक का निवेश हो, को दिया जाना चाहिए;

(ख) एमएसई क्षेत्र के लिए नियत कुल अग्रिम का 20% ऐसे माइक्रो (विनिर्माण) उद्यम जिनका संयंत्र और मशीनरी में किया गया निवेश 5 लाख रुपए से अधिक और 25 लाख रुपए तक हो; तथा माइक्रो (सेवा) उद्यम जिनका उपस्कर में किया गया निवेश 2 लाख रुपए से अधिक और 10 लाख रुपए तक हो, को दिया जाना चाहिए। इस तरह एमएसई अग्रिमों का 60% व्यष्टि उद्यमों को जाना चाहिए।

(ग) जबकि प्रधानमंत्री टास्क फोर्स की सिफारिशों के अनुसार बैंकों को उपर्युक्तानुसार 60% लक्ष्य प्राप्त करने हेतु सूचित किया गया, व्यष्टि उद्यमों को एमएसई अग्रिमों का 60% आबंटन चरणों में प्राप्त किया जाना है अर्थात् वर्ष 2010-11 में 50%, वर्ष 2011-12 में 55% तथा वर्ष 2012-13 में 60%।

3.3 रिज़र्व बैंक द्वारा उल्लिखितानुसार विदेशी बैंकों द्वारा सिडबी में जमा राशि या अन्य वित्तीय संस्थानों के पास निधि

3.3.1 जिन विदेशी बैंकों ने प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार देने के लिए निर्धारित लक्ष्य / उप-लक्ष्य से कम ऋण दिए हैं उन्हें भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) में या अन्य वित्तीय संस्थानों की निधि में या समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित किए जानेवाले प्रयोजनों के लिए अंशदान करना होगा।

3.3.2 ऐसे आबंटन के प्रयोजन के लिए, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के मार्च माह के सूचना देनेवाले अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार देने के संबंध में प्राप्त स्तर को हिसाब में लिया जाएगा (अर्थात् वर्ष 2009-2010 में सिडबी या किसी अन्य वित्तीय संस्थानों के पास निधि में आबंटन के लिए सूचना देनेवाले अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार लक्ष्य/उप-लक्ष्य के संबंध में प्राप्त स्तर को हिसाब में लिया जाएगा)।

3.3.3 आधारभूत निधि भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वर्ष-दर-वर्ष आधार पर निर्धारित की जाएगी। जमाराशियों की अवधि तीन वर्ष या रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारितानुसार होगी। विदेशी बैंकों द्वारा किया जानेवाला अंशदान, विदेशी बैंक के लिए प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार देने के निर्धारित लक्ष्य/उप-लक्ष्य की प्राप्ति में आई कमी की राशि से अधिक नहीं होना चाहिए।

3.3.4 सिडबी/या ऐसी अन्य कोई वित्तीय संस्था जिसका निर्धारण रिजर्व बैंक द्वारा किया जाएगा, निधियों की आवश्यकता पड़ने पर एक माह पूर्व सूचना देकर संबंधित विदेशी बैंकों को अंशदान करने के लिए कहेगी।

3.3.5 विदेशी बैंकों के अंशदान पर ब्याज दरें, जमाराशियों की अवधि आदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएगी।

3.4 विभिन्न प्रयोजनों के लिए विनियामक क्लीयरेंस / अनुमोदन देते समय प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के लक्ष्यों और उप-लक्ष्यों को प्राप्त न कर पाना एक विचारणीय मद होगी।

(एएनबीसी या तुलनपत्र से इतर एक्सपोज़र के बराबर ऋण राशि (भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग द्वारा समय-समय पर यथापरिभाषित) की गणना पिछले वर्ष की 31 मार्च को बकाया राशि के संदर्भ में की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए बकाया एफसीएनआर (बी) और एनआरएनआर जमाशेषों को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण देने के प्रयोजन के लिए एएनबीसी की गणना करने के लिए अब घटाया नहीं जाएगा। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण देने के प्रयोजन के लिए एएनबीसी का मतलब है एनबीसी प्लस एचटीएम वर्ग में धारित गैर एसएलआर बाँड़ों में बैंकों द्वारा किया गया निवेश। भारत सरकार द्वारा जारी पुनर्पूर्जीकरण बाँड़ों में बैंकों द्वारा किया गया निवेश एएनबीसी की गणना के प्रयोजन के लिए हिसाब में नहीं लिया जाएगा।

एचटीएम वर्ग में धारित गैर एसएलआर बाँड़ों में बैंकों द्वारा किए गए मौजूदा और नए निवेश को इस प्रयोजन के लिए हिसाब में लिया जाएगा। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण देने के लक्ष्यों/उप-लक्ष्यों, भले ही उन्हें अनुसूची 8-तुलनपत्र में मद / (vi) - "अन्य" में "निवेश" के अंतर्गत दिखाया गया हो, को प्राप्त न करने के बदले नाबार्ड/सिडबी, जैसी भी स्थिति हो, में रखी गई जमाराशियों को एचटीएम वर्ग में धारित गैर एसएलआर बाँड़ों में किया गया निवेश नहीं माना जाएगा। तुलनपत्र से इतर एक्सपोज़र के बराबर ऋण राशि की गणना करने के प्रयोजन के लिए बैंक वर्तमान एक्सपोजर प्रणाली का उपयोग करें। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण देने के लक्ष्यों / उप-लक्ष्यों के प्रयोजन के लिए अंतर-बैंक एक्सपोज़र को हिसाब में नहीं लिया जाएगा।)।

खंड IV

एमएसएमई क्षेत्र को उधार देने के लिए सामान्य दिशा-निर्देश / अनुदेश

4.1 आवेदनों का निपटान

लघु उद्योग के लिए 25,000/- रुपए तक की ऋण सीमा वाले सभी आवेदनों का निपटान दो सप्ताह में हो जाना चाहिए तथा 5 लाख रुपए तक की राशि वाले आवेदनों का 4 सप्ताह के भीतर, बशर्ते कि ऋण आवेदन सभी तरह से पूरे भरे हों तथा उनके साथ एक "चेक लिस्ट" हो।

4.2 एमएसएमई उधारकर्ताओं को ऋण आवेदनपत्रों की प्राप्ति सूचना जारी करना

बैंकों को सूचित किया गया है कि वे अपने एमएसएमई उधारकर्ताओं द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा ऑनलाइन प्रस्तुत किए गए सभी ऋण आवेदनपत्रों की प्राप्ति सूचना अनिवार्य रूप से दें तथा यह सुनिश्चित करें कि आवेदन फॉर्म एवं प्राप्ति सूचना रसीद पर रनिंग क्रम संख्या दर्ज की जाए। साथ ही बैंकों को ऋण आवेदनपत्रों का केंद्रीकृत पंजीकरण प्रारंभ करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ऋण आवेदनपत्रों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने तथा ऋण आवेदनपत्रों की ऑनलाइन ट्रैकिंग के लिए इसी टेक्नॉलॉजी का प्रयोग किया जाए।

4.3 संपार्श्चिक

बैंकों को अनिवार्य किया गया है कि एमएसई क्षेत्र में इकाइयों को 10 लाख रुपए तक दिए गए ऋणों के मामलों में संपार्श्चिक जमानत स्वीकार न किया जाए। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि केवीआइसी के प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तपोषित सभी इकाइयों को 10 लाख रुपए तक संपार्श्चिक रहित ऋण प्रदान किया जाए। एमएसई इकाइयों का अच्छा रिकार्ड तथा वित्तीय स्थिति के आधार पर बैंक, ऋण हेतु संपार्श्चिक अपेक्षाओं में छूट की सीमा को 25 लाख रुपए तक बढ़ा सकता है (उचित प्राधिकारी के अनुमोदन से)। बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपने शाखा स्तरीय अधिकारियों को ऋण गारंटी योजना कवर का उपयोग कराने हेतु प्रभावशाली ढंग से प्रोत्साहित करें तथा इस संबंध में उनके फील्ड स्टाफ के मूल्यांकन में कार्य-निष्पादन को मानदंड के रूप में शामिल करें।

4.4 संमिश्र ऋण

बैंकों द्वारा 1 करोड़ रु. तक की संमिश्र ऋण सीमा स्वीकृत की जा सकती है ताकि एमएसई उद्यमी एक ही स्थान पर अपनी कार्यशील पूँजी और मीयादी ऋण अपेक्षाओं का उपयोग कर सके।

4.5 एमएसएमई की विशेषीकृत शाखाएं

सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सूचित किया गया है कि वे प्रत्येक जिले में कम से कम एक विशेषीकृत शाखा खोलें। साथ ही, बैंकों को अनुमति दी गई है कि वे 60% से अधिक एमएसएमई क्षेत्र को अग्रिम वाली अपनी सामान्य बैंकिंग शाखाओं को विशेषीकृत एमएसएमई शाखाओं के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं ताकि वे समग्र रूप से इस क्षेत्र को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने हेतु और अधिक विशेषीकृत एमएसएमई शाखाएं खोल सकें। एमएसएमई क्षेत्र को ऋण में वृद्धि हेतु भारत सरकार द्वारा घोषित पॉलिसी पैकेज के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंक लघु उद्यमों की अधिकता वाले पहचाने गये समूहों / केन्द्रों में विशेषीकृत एमएसएमई शाखाएं सुनिश्चित करेंगे ताकि उद्यमी आसानी से बैंक ऋण ले सकें तथा बैंक कार्मिक आवश्यक विशेषज्ञता विकसित कर सकें। विद्यमान विशेषीकृत लघु उद्योग शाखाओं को एमएसएमई शाखाओं के रूप में पुनःनामित किया जाए। हालांकि उनकी महत्वपूर्ण क्षमता एमएसएमई क्षेत्र को वित-

और अन्य सेवाएं प्रदान करने हेतु उपयोग में लायी जाएगी, उनके पास अन्य थेट्रों / उधारकर्ताओं को वित्त / अन्य सेवाएं प्रदान करने का परिचालन संबंधी लचीलापन रहेगा।

4.6 विलंबित भुगतान

लघु उद्योग और अनुषंगी औद्योगिक उपक्रमों को विलंबित भुगतान पर ब्याज से संबंधित संशोधन अधिनियम, 1998 के अंतर्गत एमएसएमई इकाइयों को विलंबित भुगतान की देख-रेख के लिए दंडात्मक प्रावधान शामिल किए गए हैं। माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम (एमएसएमईडी), 2006 लागू होने के बाद लघु एवं अनुषंगी औद्योगिक उपक्रमों के लिए विलंबित भुगतान पर ब्याज अधिनियम, 1998 के वर्तमान प्रावधानों को मजबूत किया गया है जो निम्नानुसार हैं :

- (i) यदि क्रेता और आपूर्तिकर्ता के बीच निर्धारित तारीख को या उससे पूर्व क्रेता द्वारा लिखित रूप में भुगतान करना या, यदि कोई समझौता नहीं हुआ हो तो नियत दिन से पूर्व भुगतान करना। विक्रेता और क्रेता के बीच हुए समझौते की अवधि 45 दिन से अधिक नहीं होगी।
- (ii) यदि क्रेता आपूर्तिकर्ता को राशि का भुगतान नहीं कर पाया तो वह राशि पर नियत दिन या निर्धारित तारीख से रिझर्व बैंक द्वारा अधिसूचित बैंक दर का तीन गुना चक्रवृद्धि ब्याज, मासिक अंतराल सहित भुगतान करने हेतु बाध्य होगा।
- (iii) आपूर्तिकर्ता द्वारा माल या सेवा की आपूर्ति के लिए क्रेता उक्त (ii) में सूचित ब्याज के भुगतान हेतु बाध्य होगा।
- (iv) देय राशि में विवाद होने पर संबंधित राज्य सरकार द्वारा गठित माइक्रो और लघु उद्यम सुविधा सेवा परिषद से संपर्क किया जाएगा।

साथ ही, बैंकों को सूचित किया गया है कि वे विशेषतः एमएसएमई से खरीद से संबंधित भुगतान बाध्यता की पूर्ति हेतु बड़े उधारकर्ताओं के लिए समग्र कार्यकारी पूँजी सीमाओं के भीतर उप-सीमाएं निर्धारित करें।

4.7 रुण लघु उद्योग (अब एमएसई) इकाइयों के पुनर्वास पर दिशा-निर्देश (कोहली कार्यकारी समूह की सिफारिशों के आधार पर)

परिभाषा के अनुसार किसी इकाई को तब रुण माना जाएगा जब इकाई का कोई उधार खाता छः माह से अधिक अवधि के लिए अवमानक रहता हो या पूर्व लेखा वर्ष के दौरान संचित नकद हानि के कारण उसके निवल मूल्य में 50 प्रतिशत की सीमा तक ह्रास हुआ हो तथा उक्त इकाई कम से कम दो वर्ष से वाणिज्य उत्पादन कार्य में हो। उक्त मानदंड से बैंक प्रारंभिक अवस्था में ही रुणता पहचान सकेंगे और इकाई के पुनरुत्थान हेतु सुधारात्मक उपाय कर सकेंगे। दिशा-निर्देशों के अनुसार इकाई का संभाव्य रूप से अर्थक्षम / अर्थक्षम घोषित किए जाने की तारीख से छः माह के भीतर पुनर्वास पैकेज को पूर्णतः कार्यान्वित किया जाना चाहिए। पुनर्वास पैकेज को पहचानने और कार्यान्वित करने की इस छः माह की अवधि के दौरान बैंकों / वित्तीय संस्थाओं से यह अपेक्षित है कि वे "परिचालन धारण" करें जिससे रुण इकाई नकदी ऋण खाते से बिक्री आगम की जमाराशि की सीमा तक निधियां आहरित कर सकेंगी।

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को "रुण लघु उद्योग यूनिटों के पुनर्वास के लिए दिशानिर्देशों" पर 16 जनवरी 2002 के ग्राआकृति सं. पीएलएनएफएस बीसी. 57/06.04.01/2001-02 द्वारा एक परिपत्र जारी किया गया था।

साथ ही, रुण एसएमई के पुनर्वास पर कार्यकारी दल (अध्यक्ष: डॉ. के.सी.चक्रवर्ती) की सिफारिशों और एमएसई उधारकर्ताओं के लिए भारतीय बैंकिंग संहिता मानक बोर्ड की प्रतिवद्धता के परिप्रेक्ष्य में सभी

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को 4 मई 2009 के ग्राआक्रृति, परिपत्र एसएमई एण्ड एनएफएस बीसी. सं. 102/06.04.01/2008-09 द्वारा सूचित किया गया कि वे निदेशक बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित अपनी स्वयं की अर्थक्षम/संभाव्य रूप से अर्थक्षम रूण यूनिटों / उद्यमों की पुनर्संरचना/पुनर्वास नीति बना लें।

तथापि, 1 जुलाई 2010 से 'आधार दर प्रणाली' लागू करने के परिणामस्वरूप तथा 'अग्रिमों पर व्याज दरें' संबंधी 1 जुलाई 2011 के मास्टर परिपत्र डीबीओडी.सं.डीआइआर.बीसी.5/ 13.03.00/ 2011-12 के पैरा 2.3.1.3 के अनुसार पुनर्संरचित ऋणों के मामले में यदि अर्थक्षमता के प्रयोजनों के लिए आधार दर से कम कुछ डब्ल्यूसीटीएल, एफआईटीएल आदि प्रदान किए जाने की आवश्यकता हो और क्षतिपूर्ति (रिकंपेन्स) आदि के खंड मौजूद हो तो वाणिज्य बैंकों द्वारा दिए जानेवाले ऐसे उधारों को आधार दर दिशानिर्देशों के उल्लंघन के रूप में नहीं माना जाएगा।

उपर्युक्त गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए पुनर्वास के अंतर्गत रहनेवाले अर्थक्षम/संभाव्य रूप से अर्थक्षम रूण यूनिटों के लिए 16 जनवरी 2002 के हमारे परिपत्र पीएलएनएफएस बीसी. 57/ 06.04.01/2001-02 के परिशिष्ट II में निर्धारित राहत और रियायतें 12 सितंबर 2012 के हमारे परिपत्र एसएमई एण्ड एनएफएस बीसी. सं. 19/06.02.31/2011-12 द्वारा रद्द हो गयी हैं।

4.8 राज्य स्तरीय अंतर संस्थागत समिति

रुण लघु उद्योग इकाइयों के पुनर्वास हेतु समन्वय की समस्याओं से निपटने के लिए सभी राज्यों में राज्य स्तरीय अंतर संस्थागत समितियाँ गठित की गई हैं। इन समितियों की बैठकें भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा संबंधित राज्य सरकार के उद्योग सचिव की अध्यक्षता में की जाती हैं। यह समिति एक तरफ राज्य सरकार के अधिकारियों और राज्य स्तरीय संस्थानों तथा दूसरी तरफ मीयादी ऋण संस्थानों और बैंकों के बीच पर्यास आदान-प्रदान हेतु उपयोगी मंच उपलब्ध कराता है। यह उन इकाइयों को कार्यकारी पूँजी स्वीकृत करने पर कड़ी निगरानी रखता है जिन्हें एसएफसी द्वारा मीयादी ऋण उपलब्ध कराया गया हो, विशेष योजनाओं जैसे राज्य सरकार की मार्जिन मनी योजना, सिडबी की राष्ट्रीय इंक्रिटी निधि योजना का कार्यान्वयन करता है तथा बैंकों द्वारा प्रस्तुत व्योरे के आधार पर उद्योगों की सामान्य समस्याओं तथा लघु उद्योग में रुणता की समीक्षा करता है। दूसरों के साथ-साथ, स्थानीय राज्य स्तरीय लघु उद्योग संघ के प्रतिनिधियों को तिमाही आधार पर आयोजित एसएलआइआइसी की बैठकों में आमंत्रित किया जाता है। एसएलआइआइसी की एक उप-समिति प्रत्येक रुण लघु उद्योग इकाई की समस्याओं की जांच करती है तथा अपनी सिफारिश एसएलआइआइसी के मंच के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करती है।

4.9 माइक्रो लघु और मध्यम उद्यम के लिए अधिकार प्राप्त समिति

भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में यूनियन वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार क्षेत्रीय निदेशकों की अध्यक्षता में लघु और मध्यम उद्यमों पर अधिकार प्राप्त समितियाँ गठित की गई हैं। इन समितियों में राज्य स्तरीय बैंकर समिति संयोजक के प्रतिनिधि, दो बैंकों, जिनका राज्य में लघु और मध्यम उद्यम को वित्तपोषण में सर्वाधिक हिस्सा हो, के वरिष्ठ स्तर के धिकारी, सिडबी क्षेत्रीय कार्यालय के प्रतिनिधि, राज्य सरकार उद्योग के निदेशक, राज्य में लघु और मध्यम उद्यम / लघु उद्योग संघ के एक या दो वरिष्ठ स्तर के प्रतिनिधि तथा एसएफसी/एसआइडीसी से एक वरिष्ठ अधिकारी सदस्य के रूप में होंगे। इस समिति की बैठक नियत अवधि पर होगी तथा लघु और मध्यम उद्यम के वित्तपोषण में हुई प्रगति और रुण लघु उद्योग /मध्यम उद्यम इकाइयों के पुनर्वास की भी समीक्षा करेगी। यह क्षेत्र को सहज ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करने में आने वाली बाधाओं, यदि कोई हों, के निवारण हेतु अन्य बैंकों / वित्तीय संस्थानों और

राज्य सरकार के साथ समन्वय करेगी। ये समितियां समूह / जिला स्तर पर ऐसी ही समितियां गठित करने की आवश्यकता का निर्णय लेंगी।

4.10 माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम हेतु ऋण पुनर्गठन तंत्र

(i) लघु और मध्यम उद्यमों को उधार बढ़ाने हेतु माननीय वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के भाग के रूप में रिजर्व बैंक के बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग द्वारा माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की इकाइयों के लिए एक ऋण पुनर्गठन तंत्र बनाया गया है तथा इसकी सूचना सभी

वाणिज्य बैंकों को दिनांक 8.9.2005 के परिपत्र बैंपविवि.बीपी.बीसी. सं. 34/21.04.132/2005-06 द्वारा दी गई। ये विस्तृत दिशा-निर्देश सभी पात्र माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमों के ऋण का पुनर्निर्धारण सुनिश्चित करने हेतु जारी किए गए हैं। ये दिशा-निर्देश निम्नलिखित संस्थाओं पर लागू होंगे जो अर्थक्षम या संभाव्य रूप से अर्थक्षम हैं :

- क) सभी गैर निगमित माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम चाहे बैंकों को अति देय राशि का स्तर जो भी हो।
- ख) सभी निगमित माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम जिन्हें एक ही बैंक से बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं, चाहे बैंकों को अति देय राशि का स्तर जो भी हो।
- ग) सभी निगमित माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम जिनका बहुविध / संघीय बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत निधिक और गैरनिधिक बकाया 10 करोड़ रुपए तक हो।
- घ) ऐसे खाते जिनमें जान-बूझकर की गई चूक, कपट और धांधली हो, इन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत पुनर्गठन के लिए पात्र नहीं होंगे।
- ड) बैंकों द्वारा "हानि अस्तियां" के रूप में वर्गीकृत खाते पुनर्गठन के लिए पात्र नहीं होंगे। सभी निगमित माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम जिनका निधिक और गैरनिधिक बकाया 10 करोड़ रुपए और उससे अधिक हो, के लिए बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग ने दिनांक 10 नवम्बर 2005 के परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 45/21.04.132/2005-06 द्वारा निगमित ऋण पुनर्गठन तंत्र पर अलग दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

बैंकों द्वारा एमएसएमई ऋण पुनर्गठन पर विवेकपूर्ण दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं तथा बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग के दिनांक 27 अगस्त 2008 के परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 37/21.04.132/2008-09 द्वारा सभी वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया था कि वे :

ii) रुण एमएसई के पुनर्वास के लिए कार्यदल की सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 4 मई 2009 के हमारे परिपत्र ग्राआकृति.एसएमइ. एंड एनएफएस.बीसी.सं. 102/06.04.01/2008-09 द्वारा सभी वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया था कि वे :

- क) निदेशक मंडल के अनुमोदन से ऋण सुविधाएं प्रदान करने की नियंत्रक ऋण नीति, संभाव्य अर्थक्षम रुण इकाइयों / उद्यमों के पुनर्जीवन के लिए पुनर्गठन /पुनर्वास नीति तथा एमएसइ क्षेत्र के लिए अनर्जक ऋण की वसूली के लिए नॉन-डिसक्रीशनरी एक बारगी निपटान योजना लागू करें तथा
- ख) एमएसइ क्षेत्र के समय पर तथा पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में सिफारिशों कार्यान्वित करें।

(iii) बैंकों को सूचित किया गया कि वे उनके द्वारा कार्यान्वित एकमुश्ति निपटान योजना बैंक के वेबसाइट पर डालकर तथा अन्य संभावित प्रचार विधि के माध्यम से प्रचार करें। वे उधारकर्ताओं को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त समय दें तथा बकाया की चुकौती भी करें ताकि पात्र उधारकर्ताओं को योजना के लाभ प्राप्त किए जा सके।

4.11 समूह दृष्टिकोण

(i) लघु उद्योग के केन्द्रित विकास हेतु माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने 60 समूहों की पहचान की है। सभी राज्य स्तरीय बैंकर समिति के संयोजक बैंकों को सूचित किया गया है कि वे अपनी वार्षिक ऋण योजनाओं में माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पहचाने गए समूहों की ऋण आवश्यकताओं को दर्ज करें।

गांगुली समिति की सिफारिशों के अनुसार बैंकों को सूचित किया गया है कि वे 4 - सी दृष्टिकोण - अर्थात् ग्राहक केन्द्रित लागत नियंत्रण, प्रति विक्री तथा जोखिमबद्ध अपनाकर पहचाने गए एमएसई समूहों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के माध्यम से एमएसई क्षेत्र की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संपूर्ण-सेवा दृष्टिकोण प्राप्त करें। उधार हेतु समूह आधारित दृष्टिकोण निम्नलिखित में लाभकारी होगा :

- क. सुपरिभाषित तथा मान्यता प्राप्त समूहों से व्यवहार ;
- ख. जोखिम निर्धारण हेतु उपयुक्त जानकारी की उपलब्धता तथा
- ग. उधारदाता संस्थानों की निगरानी ।

समूहों को व्यापार रिकार्ड, प्रतिस्पर्धता तथा संवृद्धि संभावनाओं और /या अन्य समूह विशेष व्योरे के आधार पर चुना जा सकता है।

(ii) वार्षिक नीति वक्तव्य 2007-08 के पैरा 157 में गवर्नर द्वारा की गई घोषणा के अनुसार दिनांक 8 मई 2007 के पत्र ग्राआकृति.पीएलएनएफएस.सं. 10416/06.02.31/2006-07 द्वारा सभी एसएलबीसी संयोजक बैंकों को सूचित किया गया था कि वे एमएसएमइ क्षेत्र को ऋण प्रदान करने हेतु अपने संस्थागत व्यवस्था की समीक्षा करें, विशेषकर देश के विभिन्न भागों में 21 राज्यों में फैले 388 समूहों में जो युनाइटेड नेशन औद्योगिक विकास संघ (यूएनआइडीओ) द्वारा चुने गए हैं। यूएनआइडीओ द्वारा चुने गए एसएमइ समूहों की सूची अनुबंध III में दी गई है।

(iii) माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने पारंपरिक उद्योगों के पुनर्जन्म हेतु निधि योजना (एसएफयूआरटीआई) तथा माइक्रो एवं लघु उद्यम समूह विकास कार्यक्रम (एमएसइ-सीडीपी) के अंतर्गत 121 अल्पसंख्यक संकेन्द्रित जिलों में स्थित समूहों की सूची अनुमोदित की है। तदनुसार, देश के अल्पसंख्यक संकेन्द्रित जिलों में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदायों में से माइक्रो और लघु उद्यमियों के समूहों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु उचित उपाय किये गये हैं।

(iv) एमएसएमई पर प्रधानमंत्री टास्क फोर्स की सिफारिशों के अनुसार बैंकों को विभिन्न एमएसई समूहों में एमएसई केन्द्रित अधिक शाखा कार्यालय खोलने चाहिए जो एमएसई के लिए परामर्श केन्द्रों के रूप में कार्य कर सकें। किसी एक जिले के प्रत्येक अग्रणी बैंक कम से कम एक एमएसई समूह को अपनाए।

4.12 भारत सरकार, माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन माइक्रो और लघु उद्यमों को प्रौद्योगिकी के x प्लान से xi प्लान में उन्नयन के लिए ऋण सहलग्र पूँजीगत सब्सिडी योजना (सीएलसीएसएस) को जारी रखने के लिए अपना अनुमोदन दे दिया है :

- i) योजना के अंतर्गत ऋण की अधिकतम सीमा एक करोड़ रुपए है।
- ii) ऊपर क्रम संख्या (i) में बताई गई अधिकतम सीमा वाले माइक्रो और लघु उद्यमों की इकाइयों के लिए सब्सिडी की दर 15% है।
- iii) स्वीकार्य सब्सिडी की गणना संयंत्र और मशीनरी के खरीदी मूल्य के आधार पर की जाएगी न कि लाभार्थी इकाई को दिए गए ऋण के आधार पर।
- iv) सिडवी और नावार्ड योजना की कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियां बनी रहेंगी।

4.13 मध्यम और लघु (एमएसई) उद्यम क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराने के लिए समिति

4.13.1 लघु उद्योग(अब एमएसई) को ऋण पर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट (कपूर समिति)

भारतीय रिजर्व बैंक ने लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण की सुपुर्दग्गी प्रणाली सुधारने तथा कार्य-विधि के सरलीकरण हेतु उपाय सुझाने के लिए एकल व्यक्ति उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की थी जिसके अध्यक्ष श्री एस.एल.कपूर, (आइ.ए.एस.,सेवानिवृत्त), भूतपूर्व सचिव, भारत सरकार, उद्योग मंत्रालय थे। समिति ने 126 सिफारिशों की जिनमें लघु उद्योग क्षेत्र को वित्त पोषण से संबंधित व्यापक क्षेत्र शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इन सिफारिशों की जांच की गई तथा 88 सिफारिशों को स्वीकर करने का निर्णय लिया गया जिसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण सिफारिशें शामिल हैं :

- (i) तदर्थ सीमाएं प्रदान करने हेतु शाखा प्रबंधकों को अधिक शक्तियाँ प्रदान करना ;
- (ii) आवेदन फार्मों का सरलीकरण ;
- (iii) ऋण अपेक्षाओं के मूल्यांकन हेतु बैंकों को स्वयं के मानदंड निर्धारित करने की स्वतंत्रता;
- (iv) और अधिक विशेषीकृत लघु उद्योग शाखाएं खोलना;
- (v) संमिश्र ऋण की सीमा में 5 लाख रु. तक की वृद्धि (अब बढ़ाकर 1 करोड़ रु.)
- (vi) वसूली तंत्र का मजबूत करना ;
- (vii) बैंकों द्वारा पिछले राज्यों के प्रति अधिक ध्यान देना ;
- (viii) छोटी परियोजनाओं के मूल्यांकन हेतु शाखा प्रबंधकों को प्रशिक्षित करने हेतु विशेष कार्यक्रम ;
- (ix) बैंक द्वारा ग्राहक शिकायत तंत्र को अधिक पारदर्शी बनाना तथा शिकायतों के निपटान और उनकी निगरानी की प्रक्रिया सरल बनाना।

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को दिनांक 28 अगस्त 1998 को एक परिपत्र ग्राहाकृति.सं. पीएलएनएफएस. बीसी. सं. 22/06.02.31/98-99 जारी किया गया जिसमें कपूर समिति की सिफारिशों के बारे में सूचित किया गया।

4.13.2 लघु उद्योग क्षेत्र (अब एमएसई) को संस्थागत ऋण की पर्याप्तता और संबंधित पहलुओं की जाँच हेतु समिति की रिपोर्ट (नायक समिति)

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तत्कालीन उप गवर्नर श्री पी.आर.नायक की अध्यक्षता में दिसंबर 1991 में लघु उद्योगों (अब एमएसई) द्वारा वित्त प्राप्त करने से संबंधित मुद्दों की जाँच हेतु एक समिति गठित की गई थी।

समिति ने अपनी रिपोर्ट 1992 में प्रस्तुत की। समिति की सभी मुख्य सिफारिशों स्वीकार कर ली गई हैं तथा बैंकों को अन्य बातों के साथ-साथ सूचित किया गया है कि वे -

- i) लघु उद्योग क्षेत्र की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करते समय ग्रामीण उद्योगों, अत्यन्त लघु उद्योगों और अन्य छोटी इकाइयों को उसी क्रम में वरीयता दें।
- ii) उन लघु उद्योग (अब एमएसई) इकाइयों को कार्यशील पूँजी ऋण सीमा उनकी अनुमानित वार्षिक आय के कम से कम 20% के आधार पर प्रदान करें; जिनकी प्रत्येक इकाई की ऋण सीमा 2 करोड़ रु. तक (अब 5 करोड़ रु. हो गई है) हो।
- iii) बॉटम-अप आधार पर वार्षिक ऋण बजट तैयार करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लघु उद्योग (अब एमएसई) क्षेत्र की विधिसंगत आवश्यकताएँ पूरी होती हैं।
- iv) लघु उद्योगों (अब एमएसई) की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी जिलों को एक ही काउंटर पर सभी सुविधाएँ प्रदान करने की योजना उपलब्ध कराई जाए।
- v) यह सुनिश्चित करें कि ऋण स्वीकृत होने और उसके संवितरण में विलम्ब नहीं होना चाहिए। ऋण प्रस्ताव की ऋण सीमा में कमी / अस्वीकृति होने पर संदर्भ उच्च अधिकारियों के पास भेजा जाना चाहिए।
- vi) ऋण स्वीकृति के लिए बदले में आवश्यक जमाराशि पर जोर न दिया जाए।
- vii) विशेषीकृत लघु उद्योग (अब एमएसई) बैंक शाखाएँ खोलें अथवा बड़ी संख्या में लघु उद्योग (अब एमएसई) उधार खातों वाली शाखाओं को लघु उद्योग (अब एमएसई) विशेषीकृत शाखाओं में परिवर्तित करें।
- viii) रुग्ण लघु उद्योग (अब एमएसई) इकाइयों की पहचान करें और उनमें सुधार के लिए तुरन्त आवश्यक कार्रवाई करें।
- ix) लघु उद्योग (अब एमएसई) उधारकर्ताओं के लिए मानकीकृत ऋण आवेदन फार्म तैयार करें।
- x) विशेषीकृत शाखाओं में कार्यरत स्टाफ में स्थिति संबंधी परिवर्तन लाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए।

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को दिनांक 2 मार्च 2001 को एक परिपत्र ग्रामान्नवि. पीएलएनएफएस. बीसी. सं. 61/06.02.62/2000-01 जारी किया जिसमें नायक समिति की सिफारिशों के बारे में सूचित किया गया।

4.13.3 लघु उद्योगों (अब एमएसई) को ऋण उपलब्ध कराने पर कार्यकारी दल की रिपोर्ट (गांगुली समिति)

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, द्वारा मौद्रिक और ऋण नीति 2003-04 की मध्यावधि समीक्षा में की गई घोषणा के अनुसार डॉ. ए.एस.गांगुली की अध्यक्षता में "लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराने पर कार्यकारी दल" का गठन किया गया।

समिति ने लघु उद्योग क्षेत्र के वित्तपोषण से संबंधित क्षेत्रों को व्यापक रूप से कवर करते हुए 31 सिफारिशें की हैं। भारतीय रिजर्व बैंक और बैंकों से संबंधित सिफारिशों की जाँच की गई जिसमें से अभी तक निम्नलिखित 8 सिफारिशें स्वीकार की गईं और बैंकों को उनके कार्यान्वयन हेतु दिनांक 4 सितंबर 2004 के परिपत्र ग्रामान्नवि.पीएलएनएफएस.बीसी.28/ 06.02.31 (डब्ल्यूजी) / 2004-05 द्वारा सूचित किया गया जो निम्नानुसार है :-

- i) माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के वित्तपोषण के लिए समूह आधारित दृष्टिकोण अपनाना ;
- ii) छोटे और अत्यंत लघु उद्योगों और उद्यमियों को सेवा देने वाले अग्रणी बैंकों द्वारा गैर सरकारी संस्थाओं के सफल कार्य मॉडल के व्यापक प्रचार के साथ-साथ विशिष्ट परियोजनाओं को प्रायोजित करना ;
- iii) पहाड़ी क्षेत्रों की दिक्कतों, बार-बार बाढ़ से परिवहन में बाधा आने जैसी कठिनाइयों को देखते हुए अपने वाणिज्य निर्णय के आधार पर उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में कार्यरत बैंकों द्वारा लघु उद्योगों (अब एमएसई) को उच्चतर कार्यकारी पूँजी सीमा स्वीकृत करना ;
- iv) बैंकों द्वारा ग्रामीण उद्योग के उन्नयन तथा ग्रामीण कामगारों, ग्रामीण उद्योगों और ग्रामीण उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराने में सुधार के लिए नए उपाय खोजना ;
- v) विदेशी बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को निर्धारित लक्ष्य से कम ऋण देने के कारण सिडबी के पास जमा की गई शार्ट फाल की राशि की अवधि तथा उसके व्याज दर ढाँचे में संशोधन।

4.13.1 केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा दिनांक 10 अगस्त 2005 को घोषित लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण में वृद्धि हेतु पॉलिसी पैकेज

माननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार ने 10 अगस्त 2005 को लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण उपलब्धता बढ़ाने हेतु एक पॉलिसी पैकेज की घोषणा की थी। पॉलिसी पैकेज की कुछ विशेषताएँ निम्नानुसार हैं :-

- लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की परिभाषा
- बैंकों द्वारा माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमों के वित्तपोषण हेतु अपने लक्ष्य स्वयं निर्धारित करना
- माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को ऋणों की लागत को युक्तियुक्त बनाने के उपाय
- माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को औपचारिक ऋण प्रदान करने में वृद्धि के उपाय
- माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को वित्तपोषण हेतु समूह आधारित दृष्टिकोण
- रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए अधिकारप्राप्त समितियों का गठन
- उद्यम की क्रेडिट रेटिंग से सहलग्र करके ऋण की लागत के साथ पारदर्शी रेटिंग प्रणाली अपनाकर माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए ऋणों की लागत को युक्तिमुक्त बनाने के उपाय
- बैंकों की लेनदेन लागत को कम करने के लिए एमएसएमई प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए सिडबी द्वारा विकसित ऋण मूल्यांकन और रेटिंग टूल (कार्ट) जोखिम मूल्यांकन मॉडेल (रैम) और व्यापक रेटिंग मॉडेल से लाभ उठाने पर बैंकों द्वारा विचार किया जाना
- राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा लागू की गई क्रेडिट रेटिंग योजना के अन्तर्गत ख्यातिप्राप्त क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के माध्यम से बैंकों द्वारा एमएसई इकाइयों की रेटिंग कराने पर विचार किया जाना
- बैंकों के बोर्डों द्वारा तैयार नीति अनुदेशों का व्यापक प्रचार तथा पहुँच आसान बनाना तथा रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों / निर्देशों को संबंधित बैंक तथा सिडबी की वेबसाइट में प्रदर्शित करने के साथ-साथ बैंक शाखाओं में प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित करना।

4.13.2 पॉलिसी घोषणाओं के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जारी प्रमुख अनुदेश

केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा घोषित पॉलिसी पैकेज के आधार पर रिज़र्व बैंक द्वारा सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जारी प्रमुख अनुदेश निम्नानुसार हैं :

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सूचित किया गया था कि वे एसएमई के निधियन हेतु अपने लक्ष्य निर्धारित करें ताकि वे एसएमई को ऋण में वर्ष-दर-वर्ष न्यूनतम 20% की वृद्धि प्राप्त कर सकें। उद्देश्य यह है कि वर्ष 2009-10 तक अर्थात् 5 वर्ष की अवधि में एसएमई क्षेत्र को ऋण की उपलब्धता दुगुनी अर्थात् 2004-05 के 67,600 करोड़ रुपए से बढ़कर 2009-10 तक 135,200 रुपए हो जाए।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सूचित किया गया था कि वे उद्यम की क्रेडिट रेटिंग के साथ सहलग्र ऋण की लागत के साथ एक पारदर्शी रेटिंग प्रणाली अपनाएं।
- सभी बैंक, प्रति वर्ष अपनी प्रत्येक अर्ध शहरी/शहरी शाखाओं में कम से कम 5 नए लघु/मध्यम उद्यमों को औसतन ऋण कवर उपलब्ध कराने हेतु संयुक्त प्रयास करें।
- बैंक लघु उद्यम की प्रधानता वाले समूहों/केन्द्रों में विशेषीकृत एमएसएमई शाखाएं खोलना सुनिश्चित करें ताकि उद्यमियों को आसानी से बैंक ऋण प्राप्त हो जाए।

इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 19 अगस्त 2005 का ग्रामांक्रृति. पीएलएनएफएस बीसी.सं.31/06.02.31/2005-06 तथा दिनांक 25 अगस्त 2005 का ग्रामांक्रृति. पीएलएनएफएस. बीसी. सं. 35/06.02.31/2005-06 के परिपत्र जारी किए गए हैं।

4.14 भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई)

भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड ने माइक्रो और लघु उद्यमों के लिए बैंक प्रतिबधता की संहिता तैयार की है। यह स्वैच्छिक संहिता है जो बैंकों द्वारा, जब वे माइक्रो लघु और मध्यम उद्यमों से संव्यवहार करते हैं, माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 में परिभाषित किए गए अनुसार, अपनाएं जाने के लिए बैंकिंग संव्यवहार के न्यूनतम मानक तय करती है। यह माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमों को संरक्षण प्रदान करती है और यह बैंकों को यह बताती है कि माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमों के साथ संव्यवहार करते समय उनके दैनिक परिचालन में और वित्तीय समस्याओं की घड़ी में बैंकों से क्या अपेक्षा की गई हैं।

यह संहिता भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियामक और पर्यवेक्षी अनुदेशों को न तो परिवर्तित करती है और न ही अधिक्रमित करती है, बल्कि यह रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों/दिशा निर्देशों का पालन करती है।

4.14.1 बीसीएसबीआई संहिता के उद्देश्य

यह संहिता इसलिए तैयार की गई है कि यह:-

- क) सक्षम बैंकिंग सेवाओं तक माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम की पहुंच को आसान बनाने के लिए उन्हें एक सकारात्मक बल प्रदान करती हैं।
 - ख) माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमों के साथ लेनदेन करने में न्यूनतम मानक तय करके अच्छे और उचित बैंकिंग संव्यवहारों का प्रसार करती है।
 - ग) पारदर्शिता बढ़ाती है ताकि सेवाओं से यथोचित रूप से क्या अपेक्षित है इसे भलिभांति समझा जा सके।
 - घ) प्रभावी संप्रेषणीयता के जरिए कारोबार की समझ में सुधार लाती है।
 - ड.)उच्चतर परिचालनगत मानकों को प्राप्त करने के लिए स्पर्धा के जरिए बाजारी शक्तियों को प्रोत्साहित करती है।
 - च) माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमों और बैंकों के बीच स्वच्छ और सौहार्द संबंध बढ़ाने के साथ-साथ बैंकिंग आवश्यकताओं के प्रति सामायिक और त्वरीत प्रतिसाद सुनिश्चित करती है।
 - छ) बैंकिंग प्रणाली में विश्वास को बढ़ाती है।
- संहिता का पूरा पाठ बीसीएसबीआई की वेबसाइट (www.bs.sbi.org.in) पर उपलब्ध है।

4.15 माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम पर प्रधान मंत्री का टास्क फोर्स

माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) द्वारा उठाए विभिन्न मामलों पर विचार करने हेतु भारत सरकार द्वारा एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स (अध्यक्ष: श्री टी.के.ए.नायर) गठित किया गया था। टास्क फोर्स ने एमएसएमई के कार्य अर्थात् ऋण, विपणन, श्रम, निकास नीति, मूलभूत सुविधाएं / प्रौद्योगिकी / कौशल उन्नयन तथा कर-निर्धारण से संबंधित विभिन्न उपायों की सिफारिश की। व्यापक सिफारिशों में वे उपाय जिन पर तुरंत कार्रवाई आवश्यक हैं तथा विधि और नियामक ढांचा सहित मध्यावधि संस्थागत उपायों भी तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों और जम्मू और कश्मीर के लिए सिफारिशें शामिल हैं।

बैंकों को टास्क फोर्स द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखकर एमएसई क्षेत्र, विशेषतः माइक्रो उद्यमों को ऋण उपलब्धता बढ़ाने हेतु प्रभावी कदम उठाने हेतु प्रेरित किया जाता है।

एमएसएमई पर प्रधानमंत्री टास्क फोर्स की सिफारिशों के कार्यान्वयन की सूचना देते हुए सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को दिनांक 29 जून 2010 का परिपत्र ग्राआकृष्णि.एसएमई एंड एनएफएस. बीसी.सं. 90/06.02.31/2009-10 जारी किया गया।

माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम पर प्रधानमंत्री टास्क फोर्स की रिपोर्ट माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की वेबसाइट (msme.gov.in) पर उपलब्ध है।

4.16 माइक्रो और लघु उद्यम (एमएसई) हेतु ऋण गारंटी योजना की समीक्षा करने हेतु कार्य-दल

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सीजीटीएमएसई की ऋण गारंटी योजना के कार्य की समीक्षा करने, उसके प्रयोग को बढ़ाने के उपाय सुन्नाने तथा एमएसई को संपार्शिक रहित ऋण में वृद्धि को सुगम बनाने हेतु श्री वी.के.शर्मा, कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में एक कार्य-दल गठित किया गया था।

कार्य-दल की सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ माइक्रो और लघु उद्यम (एमएसई) क्षेत्र को संपार्शिक रहित ऋण सीमा को 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक अनिवार्यतः दुगुना करना तथा बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को आदेश देना कि वे सीजीएस कवर का उपभोग करने हेतु शाखा स्तर के पदाधिकारियों को प्रभावशाली ढंग से प्रोत्साहित करें तथा उनके फील्ड स्टाफ आदि का मूल्यांकन करने में इससे संबंधित कार्य-निष्पादन को एक मानदंड बनाए, शामिल है जो सभी बैंकों को सूचित किया गया।

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को दिनांक 6 मई 2010 का परिपत्र ग्राआकृष्णि.एसएमई एंड एनएफएस. बीसी.सं. 79/06.02.31/2009-10 जारी किया गया जिसके द्वारा यह अनिवार्य किया गया कि वे एमएसई क्षेत्र की इकाइयों को प्रदान 10 लाख रुपए तक के ऋण के मामलों में संपार्शिक जमानत स्वीकार न करें तथा यह सूचित किया गया कि वे सीजीएस कवर का उपभोग करने हेतु शाखा स्तर के पदाधिकारियों को प्रभावशाली ढंग से प्रोत्साहित करें जिसमें उनके फील्ड स्टाफ के मूल्यांकन में इससे संबंधित कार्य-निष्पादन को एक मानदंड बनाना शामिल हो।

कार्य-दल की अन्य सिफारिशों को कार्यान्वित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है जिससे गारंटी योजना के प्रयोग में वृद्धि होगी तथा अभी-अभी शामिल तथा न शामिल किए गए एमएसई को ऋण की गुणवत्ता और मात्रा में वृद्धि सरल होगी और अंततः दीर्घकालिक समाविष्ट वृद्धि की ओर अग्रसर होंगे।

लघु उद्योग मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 5 अक्टूबर, 2006

का.आ. 1722 (अ)- केन्द्रीय सरकार, सूक्ष्म, माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27), जिसे इसमें उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित मदों को विनिर्दिष्ट करती है जिनकी लागत को उक्त अधिनियम के खण्ड 7 (1) (a) में वर्णित उद्यमों की दशा में संयंत्र एवं मशीनरी में विनिधान की गणना करते समय अपवर्जित किया जायेगा।

- (i) उपस्कर जैसे औजार, जिग्स, डाईयां, मोल्डस और रखरखाव के फालतू पुर्जे और उपभोज्य सामान की लागत;
- (ii) संयंत्र और मशीनरी का प्रतिष्ठापन;
- (iii) अनुसन्धान और विकास उपस्कर और प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर;
- (iv) राज्य विजली बोर्ड के विनियम के अनुसार उद्यमों द्वारा प्रतिष्ठापित विद्युत उत्पादन सेट और अतिरिक्त ट्रांसफार्मर;
- (v) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम या राज्य लघु उद्योग निगम को संदर्भ वैक प्रभार और सेवा प्रभार;
- (vi) केबलों का प्रतिष्ठापन या उपार्जन, वायरिंग, बस बारों, विद्युत नियंत्रण पेनल (जो किसी मशीन पर चढ़ी न हो) आइल सर्किट ब्रेकर्स या सूक्ष्म सर्किट ब्रेकर्स जो संयंत्र और मशीनरी को विद्युत शक्ति देने के लिए या सुरक्षात्मक उपाय के लिए आवश्यक रूप से प्रयोग किया जाना है;
- (vii) गैस उत्पादक संयंत्र;
- (viii) परिवहन प्रभार (बिक्रिय कर या मूल्य वर्धित कर और उत्पाद शुल्क को छोड़कर) स्वदेशी मशीन के लिए उनके उत्पादन के स्थान से उद्यम के स्थान तक;
- (ix) संयंत्र और मशीनरी के परिनिर्माण करने में तकनीकी ज्ञान के लिए प्रदत्त प्रभार;
- (x) ऐसी भंडारण टंकी जो कच्चा माल और तैयार उत्पाद का भंडारण करते हों और जो उत्पादन प्रक्रिया से संबंधित न हों, और
- (xi) अग्निशमन उपस्कर।

2. पैरा 1 के अनुसार संयंत्र और मशीनरी में विनिधान की गणना करते समय उसके वास्तविक मूल्य को इस बात पर ध्यान दिये बिना कि चाहे मशीनरी नई है या पुरानी गणना में लिया जाएगा परन्तु तब जब कि मशीनरी आयातित है तो निम्नलिखित को, मूल्य की गणना करते समय सम्मिलित किया जायेगा, अर्थात्

- (i) आयात शुल्क (विभिन्न खर्चों जैसे पतन से कारखाने के स्थल तक का परिवहन खर्च, पतन पर संदर्भ डेमरेज प्रभार, को छोड़कर);
- (ii) नौवहन प्रभार;
- (iii) सीमा शुल्क निकासी प्रभार; और
- (iv) विक्रय कर या मूल्यवर्धित कर।

(फा.सं.4(1)/2006-एमएसएमई नीति),

जवाहर सरकार, अपर सचिव

वर्तमान सिडबी शाखाओं द्वारा कवर किए गए लघु और मध्यम उद्यमों की सूची

क्रम सं.	शाखा कार्यालय	लघु उद्योग समूहों की सं.	उत्पाद
1	हैदराबाद	5	छत के पंखे, इलैक्ट्रानिक सामान, फार्मास्युटिकल्स - दवाएँ, हैंड पंप सैट और ढलाई का कारबाना
2	पटना	19	तांबे और जर्मन के बर्तन
3	दिल्ली	19	स्टेनलेस स्टील के बर्तन और छुरी-कांटा आदि, रसायन, इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उपस्कर, इलैक्ट्रानिक सामान, खाद्य उत्पाद, चमड़ा उत्पाद, मेकेनिकल इंजीनियरिंग उपस्कर, पैकेजिंग सामान, कागज उत्पाद, प्लास्टिक उत्पाद, तार लगाना, धातु की वस्तुएँ बनाना, फर्नीचर, इलैक्ट्रो प्लेटिंग, ऑटो कम्पोनेन्ट, होज़्यरी, सिले-सिलाए वस्त्र, सेनिटरी फिटिंग
4	अहमदाबाद	17	फार्मास्युटिकल्स, डाय और इन्टरमीडिएट्स, प्लास्टिक का ढलाई का सामान, सिले-सिलाए वस्त्र, टेक्सटाइल मशीनरी के पुर्जे, हीरा प्रसंस्करण, मशीन औजार, ढलाई, स्टील के बर्तन, लकड़ी का सामान और फर्नीचर, कागज का उत्पाद, चमड़े की चप्पल -जूते, धुलाई का पाउडर और साबुन, संगमरमर के पट्टे, बिजली से चलने वाले पम्प, इलैक्ट्रानिक सामान, ऑटो पाट्र्स
5	सूरत	4	हीरा प्रसंस्करण, पावरलूम, लकड़ी का सामान और फर्नीचर, टेक्सटाइल मशीनरी
6	बड़ौदा	3	फार्मास्युटिकल - दवाएँ, प्लास्टिक प्रसंस्करण और लकड़ी का सामान और फर्नीचर
7	गोवा	1	फार्मास्युटिकल
8	फरीदाबाद	3	ऑटो कम्पोनेन्ट, इंजीनियरिंग समूह, पत्थर तोड़ना
9	गुडगाँव	5	ऑटो कम्पोनेन्ट, इलैक्ट्रानिक सामान, इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उपस्कर, सिले सिलाए वस्त्र, मेकेनिकल इंजीनियरिंग उपस्कर
10	पारवानू (बादी)	1	इंजीनियरिंग उपस्कर
11	जम्मू	3	स्टील री-रोलिंग, तेल मिल, चावल मिल
12	जमशेदपुर	1	इंजीनियरिंग और गढ़ाई

13	बंगलूर	6	पावरलूम, इलैक्ट्रानिक सामान, सिले सिलाए वस्त्र, लाइट इंजीनियरिंग, चमड़ा उत्पाद
14	कोच्ची/एर्नाकुलम	3	रबड़ उत्पाद, पावरलूम, समुद्री आहार प्रसंस्करण
15	औरंगाबाद	2	ऑटो कम्पोनेन्ट और फार्मास्युटिकल दवाएँ
16	मुम्बई	11	इलैक्ट्रानिक सामान, फार्मास्युटिकल मूल दवाएँ, खिलौने (प्लास्टिक), सिले-सिलाए वस्त्र, होज़्यरी, मशीन औजार, इंजीनियरिंग उपस्कर, रसायन, पैकेजिंग सामग्री, हाथ के औजार, प्लास्टिक उत्पाद
17	नागपुर	6	पावरलूम, इंजीनियरिंग और गढ़ाई, स्टील फर्नीचर, सिले-सिलाए वस्त्र, हाथ के औजार, खाद्य प्रसंस्करण
18	पुणे	6	ऑटो कम्पोनेन्ट, इलैक्ट्रानिक सामान, खाद्य उत्पाद, सिले-सिलाए कपड़े फार्मास्युटिकल - दवाएँ, फाइबर ग्लास
19	ठाणे	2	फार्मास्युटिकल्स - दवाएँ और समुद्री आहार
20	भोपाल	1	इंजीनियरिंग उपस्कर
21	इन्दौर	4	फार्मास्युटिकल्स - दवाएँ, सीले-सिलाए वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, ऑटो कम्पोनेन्ट
22	लुधियाना	9	ऑटो कम्पोनेन्ट, बाइसिकल पुर्जे, होज़्यरी, सिलाई की मशीन के पुर्जे, औद्योगिक कसनी, हाथ के औजार, मशीन औजार, फोर्जिंग इलैक्ट्रोप्लेटिंग
23	जयपुर	7	जवाहरात और आभूषण, बाल बीयरिंग, इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उपस्कर, खाद्य उत्पाद, परिधान, नींबू, मेकेनिकल इंजीनियरिंग उपस्कर
24	चेनै	3	ऑटो कम्पोनेन्ट, चमड़ा उत्पाद, इलैक्ट्रोप्लेटिंग
25	कोयम्बटूर	6	डीज़ल इंजिन, कृषि उपकरण, मशीन औजार, कास्टिंग और फोरजिंग, पावरलूम, वेट ग्राइंडिंग मशीन
26	तिरपुर	1	हौज़्यरी
27	नोएडा/गाजियाबाद	10	इलैक्ट्रानिक सामान, खिलौने, रसायन, इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उपस्कर, परिधान, मैकेनिकल इंजीनियरिंग उपस्कर, पैकेजिंग सामग्री, प्लास्टिक उत्पाद, रसायन
28	कानपुर	3	ज़ीनसाझी, सूती हौज़्यरी, चमड़ा उत्पाद
29	वाराणसी	4	शीटवर्क (ग्लोब लैम्प), पावरलूम, कृषि औजार,

			बिजली के पंखे
30	देहरादून	1	छोटे वैक्यूम बल्ब
31	नासिक (शीघ्र खुलेगा)	1	स्टील फर्नीचर
	कुल	149	

भारत में एसएमइ समूहों की सूची (यूएनआइडीओ द्वारा चुने गए)

क्रम सं.	राज्य	जिला	स्थान	उत्पाद
1	आंध्र प्रदेश	अनंतपुर	रायादुर्ग	सिले-सिलाए वस्त्र
2	आंध्र प्रदेश	अनंतपुर	चित्रदुर्ग	जीन्स के कपड़े
3	आंध्र प्रदेश	चित्तूर	नगरी	पावरलूम
4	आंध्र प्रदेश	चित्तूर	वेंटीमाल्टा, श्रीकालहस्ती, चुंदूर	तांबे के बर्तन
5	आंध्र प्रदेश	पूर्व गोदावरी	पूर्व गोदावरी	चावल मिल
6	आंध्र प्रदेश	पूर्व गोदावरी	राजमंदरी	ग्रेफाइट कूसिल्लस
7	आंध्र प्रदेश	पूर्व गोदावरी	पूर्व गोदावरी	कोयर और कोयर उत्पाद
8	आंध्र प्रदेश	पूर्व गोदावरी	राजमंदरी	अल्युमिनियम के बर्तन
9	आंध्र प्रदेश	पूर्व गोदावरी और पश्चिम गोदावरी	पूर्व गोदावरी (पूगो) और पश्चिम गोदावरी	रिफेक्टरी उत्पाद
10	आंध्र प्रदेश	गूंटूर	गूंटूर	पावरलूम
11	आंध्र प्रदेश	गूंटूर	गूंटूर	नींबू काल्सीनेशन
12	आंध्र प्रदेश	गूंटूर	मचेरला	लकड़ी का फर्नीचर
13	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	हैदराबाद	छत के पंखे
14	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	हैदराबाद	इलैक्ट्रॉनिक सामान
15	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	हैदराबाद	फार्मास्युटिकल्स - दवाएं
16	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	मुशीराबाद	चमड़े की टेनिंग
17	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	हैदराबाद	हेंड पम्प सेट
18	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	हैदराबाद	फाउंड्री
19	आंध्र प्रदेश	करीमनगर	सिरसिला	पावरलूम
20	आंध्र प्रदेश	कृष्णा	मछलीपट्टनम	सोने की परत और इमिटेशन आभूषण
21	आंध्र प्रदेश	कृष्णा	विजयवाड़ा	चावल मिल
22	आंध्र प्रदेश	कृष्णा	चुंदुर, कवाडिगुडा, चारमिनार, विजयवाड़ा	स्टील फर्नीचर
23	आंध्र प्रदेश	करनूल	अडोनी	तेल मिल
24	आंध्र प्रदेश	करनूल	करनूल	बनावटी हीरे
25	आंध्र प्रदेश	करनूल, कडप्पा	करनूल (बनागनापल्ली, बेथामचेरिया, कोलीमीगुडला, कडप्पा)	पॉलिश किए स्लेब
26	आंध्र प्रदेश	प्रकासम	मरकापुरम	पत्थर की स्लेट
27	आंध्र प्रदेश	रंगा रेडी	बालनगर, जेहुमीमेटला और कुकटपल्ली	मशीन औजार
28	आंध्र प्रदेश	श्रीकाकुलम	पालसा	काजू प्रसंस्करण

29	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम्, पूर्व गोदावरी	विशाखापट्टनम्, काकीनाडा	समुद्री खाद्य
30	आंध्र प्रदेश	वारंगल	वारंगल	पावरलूम
31	आंध्र प्रदेश	वारंगल	वारंगल	ब्रासवेयर
32	आंध्र प्रदेश	पश्चिम गोदावरी	पश्चिम गोदावरी	चावल मिल
33	बिहार	बेगुसराई	बरौनी	इंजीनियरिंग और फेब्रिकेशन
34	बिहार	मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर	खाद्य उत्पाद
35	बिहार	पटना	पटना	तांबे और जर्मन चांदी के बर्तन
36	छत्तीसगढ़	दुर्ग, राजनंदगाव, रायपुर	दुर्ग, राजनंदगाव, रायपुर	स्टील री-रोलिंग
37	छत्तीसगढ़	दुर्ग, रायपुर	दुर्ग, रायपुर	ढलाई और धातु की वस्तुएं बनाना
38	दिल्ली	उत्तरी पश्चिम दिल्ली	वजीरपुर, बादली	स्टेनलेस स्टील के बर्तन और छुरी-कांटा
39	दिल्ली	दक्षिण और पश्चिम दिल्ली	ओखला, मायापुरी	रसायन
40	दिल्ली	पश्चिम और दक्षिण दिल्ली	नरैना और ओखला	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उपस्कर
41	दिल्ली	पश्चिम और दक्षिण दिल्ली	नरैना और ओखला	इलेक्ट्रानिक सामान
42	दिल्ली	उत्तर दिल्ली	लॉरेन्स रोड	खाद्य उत्पाद
43	दिल्ली	दक्षिण दिल्ली	ओखला, वजीरपुर फ्लेटेड फैक्ट्रीस संकुल	चमड़ा उत्पाद
44	दिल्ली	दक्षिण, पश्चिम दिल्ली	ओखला, मायापुरी, आनंद पर्वत	मेक्निकल इंजीनियरिंग उपकरण
45	दिल्ली	पश्चिम, दक्षिण, पूर्व दिल्ली	नरैना, ओखला, पतपरगुज	पैकेजिंग सामान
46	दिल्ली	पश्चिम और दक्षिण दिल्ली	नरैना और ओखला	कागज उत्पाद
47	दिल्ली	पश्चिम और दक्षिण दिल्ली	नरैना उद्योग नगर और ओखला	प्लास्टिक उत्पाद
48	दिल्ली	पश्चिम, दक्षिण, उत्तर-पश्चिम दिल्ली	नरैना, ओखला, शिवाजी मार्ग, नज़ाफगढ़ मार्ग	रबड़ उत्पाद
49	दिल्ली	उत्तर पूर्वी दिल्ली	शहदरा और विश्वासनगर	तार लगाना
50	दिल्ली	पश्चिम और उत्तर पश्चिमी	मायापुरी और वजीरपुर	धातु की वस्तुएं बनाना
51	दिल्ली	पश्चिम और उत्तर पूर्वी	किर्तीनगर और तिलक नगर	फर्नीचर
52	दिल्ली	उत्तर पूर्वी दिल्ली	वजीरपुर	इलैक्ट्रो प्लेटिंग
53	दिल्ली	दक्षिण, पश्चिम, उत्तरी पश्चिम और उत्तर पश्चिमी	ओखला, मायापुरी, नरैना, वजीरपुर बदली और जी.टी.करनल रोड	ऑटो कम्पोनेन्ट
54	दिल्ली	उत्तर पूर्वी दिल्ली, पूर्व दिल्ली और दक्षिण	शाहदरा, गांधीनगर, ओखला और मैदानगढ़ी	होज़यरी
55	दिल्ली	दक्षिण और उत्तर पूर्वी	ओखला और शाहदरा	सिले-सिलाए वस्त्र
56	दिल्ली	दक्षिण दिल्ली	ओखला	सेनिटरी फिटिंग

57	ગુજરાત	અહમદાબાદ	અહમદાબાદ	ફાર્માસ્યુટિકલ્સ
58	ગુજરાત	અહમદાબાદ	અહમદાબાદ	ડાય ઔર ઇંટરમીડિએટ્સ
59	ગુજરાત	અહમદાબાદ	અહમદાબાદ	પ્લાસ્ટિક કી ઢાલાઈ કા સામાન
60	ગુજરાત	અહમદાબાદ	અહમદાબાદ	સિલે-સિલાએ વન્ન
61	ગુજરાત	અહમદાબાદ	અહમદાબાદ	ટેક્સ્ટાઇલ મશીનરી કે પુર્જે
62	ગુજરાત	અહમદાબાદ	અહમદાબાદ, ધનદુકા	હીરા પ્રસંસ્કરણ
63	ગુજરાત	અહમદાબાદ	અહમદાબાદ	મશીન ઉપકરણ
64	ગુજરાત	અહમદાબાદ	અહમદાબાદ	ઢાલાઈ
65	ગુજરાત	અહમદાબાદ	અહમદાબાદ	સ્ટીલ કે બર્તન
66	ગુજરાત	અહમદાબાદ	અહમદાબાદ	લકડી કા ઉત્પાદ ઔર ફર્નિચર
67	ગુજરાત	અહમદાબાદ	અહમદાબાદ	કાગ્જ કે ઉત્પાદ
68	ગુજરાત	અહમદાબાદ	અહમદાબાદ	ચમડે કે ચપ્પલ જૂતે
69	ગુજરાત	અહમદાબાદ	અહમદાબાદ	ધૂલાઈ કા પાવડર ઔર સાબુન
70	ગુજરાત	અહમદાબાદ	અહમદાબાદ	સંગમરમર કે પટે
71	ગુજરાત	અહમદાબાદ	અહમદાબાદ	બિજલી સે ચલને વાલે પમ્પ
72	ગુજરાત	અહમદાબાદ	અહમદાબાદ	ઇલેક્ટ્રોનિક સામાન
73	ગુજરાત	અહમદાબાદ	અહમદાબાદ	ઓટો પૂર્જે
74	ગુજરાત	અમરેલી	સાવરકુંડલા	વજન ઔર માપ
75	ગુજરાત	અમરેલી, જુનાગઢ, રાજકોટ	અમરેલી, જુનાગઢ, રાજકોટબેલ્ટ	તેલ મિલ મશીનરી
76	ગુજરાત	ભાવનગર	અલંગ	જહાજ તોડના
77	ગુજરાત	ભાવનગર	ભાવનગર	સ્ટીલ રી-રોલિંગ
78	ગુજરાત	ભાવનગર	ભાવનગર	મશીન ઉપકરણ
79	ગુજરાત	ભાવનગર	ભાવનગર	પ્લાસ્ટિક પ્રસંસ્કરણ
80	ગુજરાત	ભાવનગર	ભાવનગર	હીરા પ્રસંસ્કરણ
81	ગુજરાત	ગાંધીનગર	કાલોલ	પાવરલૂમ
82	ગુજરાત	જામનગર	જામનગર	તાંબે કે પુર્જે
83	ગુજરાત	જામનગર	જામનગર	લકડી કે ઉત્પાદ ઔર ફર્નિચર
84	ગુજરાત	મેહસાણા	વિજાપુર	સૂતી કપડે કી બુનાઈ
85	ગુજરાત	રાજકોટ	ધોરાજી, ગોંડલ, રાજકોટ	તેલ મિલ
86	ગુજરાત	રાજકોટ	જેતપુર	ટેક્સ્ટાઇલ છપાઈ
87	ગુજરાત	રાજકોટ	મોરવી ઔર વાકાનેર	ફ્લોરિંગ ટાઇલ્સ (ક્લે)
88	ગુજરાત	રાજકોટ	મોરવી	દીવાર કી ઘડિયાં
89	ગુજરાત	રાજકોટ	રાજકોટ	ડીજલ ઇંજિન

90	ગુજરાત	રાજકોટ	રાજકોટ	ઇલેક્ટ્રિક મોટર
91	ગુજરાત	રાજકોટ	રાજકોટ	ઢાલાઈ
92	ગુજરાત	રાજકોટ	રાજકોટ	મશીન ઉપકરણ
93	ગુજરાત	રાજકોટ	રાજકોટ	હીરા પ્રસંસ્કરણ
94	ગુજરાત	સૂરત	સૂરત, ચોરયાસી	હીરા પ્રસંસ્કરણ
95	ગુજરાત	સૂરત	સૂરત	પાવર લૂમ
96	ગુજરાત	સૂરત	સૂરત	લકડી કે ઉત્પાદ ઔર ફર્નિચર
97	ગુજરાત	સૂરત	સૂરત	ટેક્સટાઇલ મશીનરી
98	ગુજરાત	સુરેન્દ્રનગર	સુરેન્દ્રનગર ઔર થાનગઢ	સેરેમિક્સ
99	ગુજરાત	સુરેન્દ્રનગર	છોટિલા	સેનિટરી ફિટિંગ
100	ગુજરાત	વડોદરા	વડોદરા	ફાર્માસ્યુટિકલ દવાએ
101	ગુજરાત	વડોદરા	વડોદરા	પ્લાસ્ટિક પ્રસંસ્કરણ
102	ગુજરાત	વડોદરા	વડોદરા	લકડી કે ઉત્પાદ ઔર ફર્નિચર
103	ગુજરાત	બલસાડી	પારદી	ડાય ઔર ઇન્ટરમીડિએટ્સ
104	ગુજરાત	બલસાડી/ભરુચ	વાપી/અંકલેશ્વર	રસાયન
105	ગુજરાત	બલસાડી/ભરુચ	વાપી/અંકલેશ્વર	ફાર્માસ્યુટિકલ દવાએ
106	ગોવા	દક્ષિણ ગોવા	માર્ગો	ફાર્માસ્યુટિકલ
107	હરિયાણા	અંબાલા	અંબાલા	મિક્સી ઔર ગ્રાઇંડર
108	હરિયાણા	અંબાલા	અંબાલા	વૈજ્ઞાનિક ઉપકરણ
109	હરિયાણા	ભિવાની	ભિવાની	પાવરલૂમ
110	હરિયાણા	ભિવાની	ભિવાની	સ્ટોન ક્રાશિંગ
111	હરિયાણા	ફરિદાબાદ	ફરિદાબાદ	ઓટો પૂર્જે
112	હરિયાણા	ફરિદાબાદ	ફરિદાબાદ	ઇંજીનિયરિંગ કલસ્ટર
113	હરિયાણા	ફરિદાબાદ	ફરિદાબાદ	પથર તોડના
114	હરિયાણા	ગુડગાંવ	ગુડગાંવ	ઓટો પૂર્જે
115	હરિયાણા	ગુડગાંવ	ગુડગાંવ	ઇલેક્ટ્રાનિક સામાન
116	હરિયાણા	ગુડગાંવ	ગુડગાંવ	ઇલેક્ટ્રિકલ ઇંજીનિયરિંગ ઉપસ્કર
117	હરિયાણા	ગુડગાંવ	ગુડગાંવ	સિલે-સિલાએ કપડે
118	હરિયાણા	ગુડગાંવ	ગુડગાંવ	મેકેનિકલ ઇંજીનિયરિંગ ઉપસ્કર
119	હરિયાણા	કૈથલ	કૈથલ	ચાવલ મિલ
120	હરિયાણા	કનાલ	કનાલ	કૃષિ ઉપકરણ
121	હરિયાણા	કનાલ, કુરુક્ષેત્ર, પાનિપત	કનાલ, કુરુક્ષેત્ર, પાનિપત	ચાવલ મિલ

122	हरियाणा	पंचकुला	पिंजोर	इंजीनियरिंग उपकरण
123	हरियाणा	पंचकुला	पंचकुला	पत्थर तोड़ना
124	हरियाणा	पानिपत	पानिपत	पावरलूम
125	हरियाणा	पानिपत	पानिपत	शोडी यार्न
126	हरियाणा	पानिपत	समलखा	फाउंड्री
127	हरियाणा	पानिपत	पानिपत	सूती कातना
128	हरियाणा	रोहतक	रोहतक	नट्स/बोल्ट्स
129	हरियाणा	यमुना नगर	यमुना नगर	प्लाई वुड/ बोर्ड/ ब्लैक बोर्ड
130	हरियाणा	यमुना नगर	जगद्धी	बर्टन
131	हिमाचल प्रदेश	कुल्लु और सिरमौर	कुल्लु और सिरमौर	खाद्य प्रसंस्करण
132	हिमाचल प्रदेश	कांगड़ा	दमतल	पत्थर तोड़ना
133	हिमाचल प्रदेश	सोलन	परवानु	इंजीनियरिंग उपस्कर
134	जम्मू और कश्मीर	अनंतनाग	अनंतनाग	क्रिकेट बेट
135	जम्मू और कश्मीर	जम्मू	जम्मू	स्टील रिं-रोलिंग
136	जम्मू और कश्मीर	जम्मू / कथुवा	जम्मू /कथुवा	तेल मिल
137	जम्मू और कश्मीर	जम्मू / कथुवा	कथुवा	चावल मिल
138	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर	श्रीनगर	टिम्बर जोयनरी / फर्नीचर
139	झारखण्ड	सारीकेला-खरसावन	आदित्यपुर	ऑटो पुर्जे
140	झारखण्ड	पूर्व सिंहभूम	जमशेदपुर	इंजीनियरिंग और फेब्रिकेशन
141	झारखण्ड	बोकारो	बोकारो	इंजीनियरिंग और फेब्रिकेशन
142	कर्नाटक	बंगलूर	बंगलूर	मशीन उपकरण
143	कर्नाटक	बंगलूर	बंगलूर	पावरलूम
144	कर्नाटक	बंगलूर	बंगलूर	इलेक्ट्रॉनिक सामान
145	कर्नाटक	बंगलूर	बंगलूर	सिले-सिलाए वस्त्र
146	कर्नाटक	बंगलूर	बंगलूर	लाइट इंजीनियरिंग
147	कर्नाटक	बंगलूर	बंगलूर	चमड़े के उत्पाद
148	कर्नाटक	बेलगांव	बेलगांव	फाउंड्री
149	कर्नाटक	बेलगांव	बेलगांव	पावरलूम
150	कर्नाटक	बेल्लरी	बेल्लरी	जीन्स गारमेंट
151	कर्नाटक	विजापुर	विजापुर	तेल मिल
152	कर्नाटक	धारवाड	हुबली, धारवाड	कृषि उपकरण और ट्रेक्टर

				ट्रेलर
153	कर्नाटक	गडग	गडग बेटगीरी	पावरलूम
154	कर्नाटक	गुलबर्गा	गुलबर्गा गडग बेल्ट	दाल मिल
155	कर्नाटक	हसन	आरसिकारा	कोयर और कोयर उत्पाद
156	कर्नाटक	मैसूर	मैसूर	खाद्य उत्पाद
157	कर्नाटक	मैसूर	मैसूर	रेशम
158	कर्नाटक	रायचुर	रायचुर	चमड़ा उत्पाद
159	कर्नाटक	शिमोगा	शिमोगा	चावल मिल
160	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	मंगलूर	खाद्य उत्पाद
161	केरल	अलपुज्जा	अलपुज्जा	कोयर और कोयर उत्पाद
162	केरल	एर्नाकुलम	एर्नाकुलम	रबड़ उत्पाद
163	केरल	एर्नाकुलम	एर्नाकुलम	पावरलूम
164	केरल	एर्नाकुलम	कोच्ची	समुद्री खाद्य प्रसंस्करण
165	केरल	कन्नूर	कन्नूर	पावरलूम
166	केरल	कोल्लम	कोल्लम	कोयर और कोयर उत्पाद
167	केरल	कोट्टायम	कोट्टायम	रबड़ उत्पाद
168	केरल	मल्लापुरम	मल्लापुरम	पावरलूम
169	केरल	पालक्काड	पालक्काड	पावरलूम
170	केरल		फैजलूर	पावरलूम
171	महाराष्ट्र	अहमदनगर	अहमदनगर	ऑटो पूर्जे
172	महाराष्ट्र	अकोला	अकोला	तेल मिल (सूती बीज)
173	महाराष्ट्र	अकोला	अकोला	दाल मिल
174	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	औरंगाबाद	ऑटो पूर्जे
175	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	औरंगाबाद	फार्मास्युटिकल्स - दवाएं
176	महाराष्ट्र	भंडारा	भंडारा	चावल मिल
177	महाराष्ट्र	चंद्रपुर	चंद्रपुर	छत की टाइल्स
178	महाराष्ट्र	चंद्रपुर	चंद्रपुर	चावल मिल
179	महाराष्ट्र	धुले	धुले	मिर्ची पाउडर
180	महाराष्ट्र	गडचिरोली	गडचिरोली	ढलाई
181	महाराष्ट्र	गडचिरोली	गडचिरोली	चावल मिल
182	महाराष्ट्र	गोंदिया	गोंदिया	चावल मिल
183	महाराष्ट्र	जलगांव	जलगांव	दाल मिल
184	महाराष्ट्र	जलगांव	जलगांव	कृषि औजार
185	महाराष्ट्र	जालना	जालना	इंजीनियरिंग
186	महाराष्ट्र	कोल्हापुर	कोल्हापुर	डीज़ल इंजीन

187	महाराष्ट्र	कोल्हापुर	कोल्हापुर	फाउंड्री
188	महाराष्ट्र	कोल्हापुर	इचलकरंजी	पावरलूम
189	महाराष्ट्र	मुंबई	मुंबई	इलेक्ट्रॉनिक सामान
190	महाराष्ट्र	मुंबई	मुंबई	फार्मास्युटिकल - दवाएं
191	महाराष्ट्र	मुंबई	मुंबई	खिलौने (प्लास्टिक)
192	महाराष्ट्र	मुंबई	मुंबई	सिले-सिलाए कपडे
193	महाराष्ट्र	मुंबई	मुंबई	होसियरी
194	महाराष्ट्र	मुंबई	मुंबई	मशीन उपकरण
195	महाराष्ट्र	मुंबई	मुंबई	इंजीनियरिंग उपस्कर
196	महाराष्ट्र	मुंबई	मुंबई	रसायन
197	महाराष्ट्र	मुंबई	मुंबई	पैकेजिंग सामग्री
198	महाराष्ट्र	मुंबई	मुंबई	हाथ के औजार
199	महाराष्ट्र	मुंबई	मुंबई	प्लास्टिक उत्पाद
200	महाराष्ट्र	नागपुर	नागपुर	पावरलूम
201	महाराष्ट्र	नागपुर	नागपुर	इंजीनियरिंग और फैब्रिकेशन
202	महाराष्ट्र	नागपुर	नागपुर	स्टील फर्नीचर
203	महाराष्ट्र	नागपुर	नागपुर (बुटीबोरी)	सिले-सिलाए वस्त्र
204	महाराष्ट्र	नागपुर	नागपुर	हाथ के औजार
205	महाराष्ट्र	नागपुर	नागपुर	खाद्य प्रसंस्करण
206	महाराष्ट्र	नांदेड	नांदेड	दाल मिल
207	महाराष्ट्र	नाशिक	मालेगांव	पावरलूम
208	महाराष्ट्र	नाशिक	नाशिक	स्टील फर्नीचर
209	महाराष्ट्र	पुणे	पुणे	ऑटो पुर्जे
210	महाराष्ट्र	पुणे	पुणे	इलेक्ट्रॉनिक सामान
211	महाराष्ट्र	पुणे	पुणे	खाद्य उत्पाद
212	महाराष्ट्र	पुणे	पुणे	सिले-सिलाए वस्त्र
213	महाराष्ट्र	पुणे	पुणे	फर्मास्युटिकल्स दवाएं
214	महाराष्ट्र	पुणे	पुणे	फाइबर कांच
215	महाराष्ट्र	रत्नागिरी	रत्नागिरी	कैन्ड और प्रसंकृत मछली
216	महाराष्ट्र	सांगली	सांगली	एमएस रॉड
217	महाराष्ट्र	सांगली	माधवनगर	पावरलूम
218	महाराष्ट्र	सातारा	सातारा	चमड़ा टैनिंग
219	महाराष्ट्र	सोलापुर	सोलापुर	पावरलूम
220	महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	सिंधुदुर्ग	काजू प्रसंस्करण
221	महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	सिंधुदुर्ग	कॉपर परत वाले वायर

222	महाराष्ट्र	थाने	भिंवंडी	पावरलूम
223	महाराष्ट्र	थाने	कल्याण	कॉनफेक्शनरी
224	महाराष्ट्र	थाने	वाशिंद	रसायन
225	महाराष्ट्र	थाने	तारापुर,थाने-बेलापुर	फार्मास्युटिकल्स
226	महाराष्ट्र	थाने	थाने	समुद्री खाद्य
227	महाराष्ट्र	वरधा	वरधा	पिघलने वाला तेल
228	महाराष्ट्र	यवतमाल	यवतमाल	दाल मिल
229	मध्य प्रदेश	भोपाल	भोपाल	इंजीनियरिंग उपस्कर
230	मध्य प्रदेश	देवास	देवास	इंजीनियरिंग सामान
231	मध्य प्रदेश	पूर्व निमार	बृहनपुर	पावरलूम
232	मध्य प्रदेश	इंदौर	इंदौर	फार्मास्युटिकल दवाएं
233	मध्य प्रदेश	इंदौर	इंदौर	सिल-सिलाए वस्त्र
234	मध्य प्रदेश	इंदौर	इंदौर	खाद्य प्रसंस्करण
235	मध्य प्रदेश	इंदौर	पिथमपुर	ऑटो पुर्जे
236	मध्य प्रदेश	जबलपुर	जबलपुर	सिले-सिलाए वस्त्र
237	मध्य प्रदेश	जबलपुर	जबलपुर	पावरलूम
238	मध्य प्रदेश	उज्जैन	उज्जैन	पावरलूम
239	उड़ीसा	बलनगिर	बलनगिर	चावल मिल
240	उड़ीसा	बलसोर	बलसोर	चावल मिल
241	उड़ीसा	बलसोर	बलसोर	पावरलूम
242	उड़ीसा	कट्टक	कट्टक	चावल मिल
243	उड़ीसा	कट्टक	कट्टक	रसायन और फार्मास्युटिकल्स
244	उड़ीसा	कट्टक	कट्टक (जगतपुर)	इंजीनियरिंग और फेब्रिकेशन
245	उड़ीसा	कट्टक	कट्टक	मसाले
246	उड़ीसा	धेनकनल	धेनकनल	पावरलूम
247	उड़ीसा	गंजम	गंजम	पावरलूम
248	उड़ीसा	गंजम	गंजम	चावल मिल
249	उड़ीसा	कोरापत	कोरापत	चावल मिल
250	उड़ीसा	पूरी	पूरी	चावल मिल
251	उड़ीसा	सम्बलपुर	सम्बलपुर	चावल मिल
252	पंजाब	अमृतसर	अमृतसर	चावल मिल
253	पंजाब	अमृतसर	अमृतसर	शॉडी यान
254	पंजाब	अमृतसर	अमृतसर	पावरलूम
255	पंजाब	फतेहगढ़ साहिब	मंडी गोविंदगढ़	स्टील री-रोलिंग

256	पंजाब	गुरदासपुर	बटाला	मशीन उपकरण
257	पंजाब	गुरदासपुर	बटाला, गुरदासपुर	चावल मिल
258	पंजाब	गुरदासपुर	बटाला	कास्टिंग और फोरजिंग
259	पंजाब	जलंधर	जलंधर	खेल का सामान
260	पंजाब	जलंधर	जलंधर	कृषि उपकरण
261	पंजाब	जलंधर	जलंधर	हाथ के औजार
262	पंजाब	जलंधर	जलंधर	रबड़ का सामान
263	पंजाब	जलंधर	करतारपुर	लकड़ी का फर्नीचर
264	पंजाब	जलंधर	जलंधर	चमड़े का टेनिंग
265	पंजाब	जलंधर	जलंधर	चमड़े की चप्पल
266	पंजाब	जलंधर	जलंधर	शस्य उपकरण
267	पंजाब	कपूरथला	कपुरथला	चावल मिल
268	पंजाब	कपूरथला	फगवाड़ा	डिज्जल इंजीन
269	पंजाब	लुधियाना	लुधियाना	ऑटो उपकरण
270	पंजाब	लुधियाना	लुधियाना	बाइसिकल के पुर्जे
271	पंजाब	लुधियाना	लुधियाना	हौजयरी
272	पंजाब	लुधियाना	लुधियाना	सिलाई एम/सी उपकरण
273	पंजाब	लुधियाना	लुधियाना	औद्योगिक फास्टनर्स
274	पंजाब	लुधियाना	लुधियाना	हाथ के औजार
275	पंजाब	लुधियाना	लुधियाना	मशीन उपकरण
276	पंजाब	लुधियाना	लुधियाना	फोर्जिंग
277	पंजाब	लुधियाना	लुधियाना	इलेक्ट्रोप्लेटिंग
278	पंजाब	मोगा	मोगा	गेहूँ थ्रेशर
279	पंजाब	पटियाला	पटियाला	कृषि उपकरण
280	पंजाब	पटियाला	पटियाला	काटने के उपकरण
281	पंजाब	संगरूर	संगरूर	चावल मिल
282	राजस्थान	अल्वर, एस.माधोपुर, भरतपुर	अल्वर, एस.माधोपुर, भरतपुर बेल्ट	तेल मिल
283	राजस्थान	अजमेर	किशनगढ़	संगमरमर के पट्टे
284	राजस्थान	अजमेर	किशनगढ़	पावरलूम
285	राजस्थान	अल्वर	अल्वर	रसायन
286	राजस्थान	बिकानेर	बिकानेर	पापड़ मंगोड़ी, नमकीन
287	राजस्थान	बिकानेर	बिकानेर	प्लास्टर ऑफ पेरिस
288	राजस्थान	दौसा	महुआ	सेंड स्टोन
289	राजस्थान	गंगानगर	गंगानगर	खाद्य प्रसंस्करण

290	राजस्थान	जयपुर	जयपुर	हीरे और जवाहरात
291	राजस्थान	जयपुर	जयपुर	बॉल बेरिंग
292	राजस्थान	जयपुर	जयपुर	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उपकरण
293	राजस्थान	जयपुर	जयपुर	खाद्य उत्पाद
294	राजस्थान	जयपुर	जयपुर	वस्त्र
295	राजस्थान	जयपुर	जयपुर	नींबू
296	राजस्थान	जयपुर	जयपुर	मेकेनिकल इंजीनियरिंग उपकरण
297	राजस्थान	झालवर	झालवर	संगमरमर के पट्टे
298	राजस्थान	नागपुर	नागपुर	हाथ के औजार
299	राजस्थान	सिकर	शिखावटी	लकड़ी का फर्नीचर
300	राजस्थान	सिरोही	सिरोही	संगमरमर के पट्टे
301	राजस्थान	उदयपुर	उदयपुर	संगमरमर के पट्टे
302	तमिलनाडु	चैन्नै	चैन्नै	ऑटो पूर्जे
303	तमिलनाडु	चैन्नै	चैन्नै	चमड़े के उत्पाद
304	तमिलनाडु	चैन्नै	चैन्नै	इलेक्ट्रोप्लेटिंग
305	तमिलनाडु	कोयम्बतुर	कोयम्बतुर	डीज़ल इंजीन
306	तमिलनाडु	कोयम्बतुर	कोयम्बतुर	कृषि उपकरण
307	तमिलनाडु	कोयम्बतुर	त्रिपुर	हौजरी
308	तमिलनाडु	कोयम्बतुर	कोयम्बतुर	मशीन उपकरण
309	तमिलनाडु	कोयम्बतुर	कोयम्बतुर	कास्टिंग और फोर्जिंग
310	तमिलनाडु	कोयम्बतुर	कोयम्बतुर, पालादम, कन्नम पालयम	पावरलूम
311	तमिलनाडु	कोयम्बतुर	कोयम्बतुर	गिली पिसाई की मशीनें
312	तमिलनाडु	इरोड	सुरामपट्टी	पावरलूम
313	तमिलनाडु	करुर	करुर	पावरलूम
314	तमिलनाडु	मदुराई	मदुराई	सिले-सिलाए वस्त्र
315	तमिलनाडु	मदुराई	मदुराई	चावल मिल
316	तमिलनाडु	मदुराई	मदुराई	दाल मिल
317	तमिलनाडु	नमक्कल	थिरुचेनगोडे	रिस
318	तमिलनाडु	सालेम	सालेम	सिले-सिलाए वस्त्र
319	तमिलनाडु	सालेम	सालेम	स्टार्च और सेगो
320	तमिलनाडु	तंजवुर	तंजवुर	चावल मिल
321	तमिलनाडु	त्रिचुरापल्ली	त्रिचुरापल्ली	इंजीनियरिंग उपकरण
322	तमिलनाडु	त्रिचुरापल्ली	त्रिचुरापल्ली (ग्रामीण)	आर्टिफिशियल हीरे

323	तमिलनाडु	टुटिकोरिन	कोविलपति	माचिस
324	तमिलनाडु	वेल्लुर	अंबुर, वनियमबड़ी, पलार वेली	चमड़े का टैनिंग
325	तमिलनाडु	विरधुनगर	राजपलायम	सूती मिल (गेज़ कपड़ा)
326	तमिलनाडु	विरधुनगर	विरुधनगर	टिन कंटेनर
327	तमिलनाडु	विरधुनगर	शिवकासी	प्रिंटिंग
328	तमिलनाडु	विरधुनगर	विरधुनगर	माचिस और पटाखे
329	तमिलनाडु	विरधुनगर	श्रीवल्लीपुथुर	टोइलेट साबून
330	उत्तर प्रदेश	आगरा	आगरा	फाउंड्री
331	उत्तर प्रदेश	आगरा	आगरा	चमड़े के चप्पल-जूते
332	उत्तर प्रदेश	आगरा	आगरा	मेकेनिकल इंजीनियरिंग उपस्कर
333	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़	अलीगढ़	ब्रास और गनमेटल की मूर्तियां
334	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़	अलीगढ़	ताले
335	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़	अलीगढ़	भवन हार्डवेयर
336	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	माऊ	पावरलूम
337	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	माऊ एमा	चमड़े के उत्पाद
338	उत्तर प्रदेश	बांदा	बांदा	पावरलूम
339	उत्तर प्रदेश	बुलंदशहर	खुरजा	सिरेमिक्स
340	उत्तर प्रदेश	फिरोज़ाबाद	फिरोज़ाबाद	कांच के उत्पाद
341	उत्तर प्रदेश	गौतम बुद्ध नगर	नोएडा	इलेक्ट्रानिक उत्पाद
342	उत्तर प्रदेश	गौतम बुद्ध नगर	नोएडा	खिलौने
343	उत्तर प्रदेश	गौतम बुद्ध नगर	नोएडा	रसायन
344	उत्तर प्रदेश	गौतम बुद्ध नगर	नोएडा	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उपस्कर
345	उत्तर प्रदेश	गौतम बुद्ध नगर	नोएडा	वस्त्र
346	उत्तर प्रदेश	गौतम बुद्ध नगर	नोएडा	मेकेनिकल इंजीनियरिंग उपस्कर
347	उत्तर प्रदेश	गौतम बुद्ध नगर	नोएडा	पेकेजिंग सामान
348	उत्तर प्रदेश	गौतम बुद्ध नगर	नोएडा	प्लास्टिक उत्पाद
349	उत्तर प्रदेश	गाज़ियाबाद	गाज़ियाबाद	रसायन
350	उत्तर प्रदेश	गाज़ियाबाद	गाज़ियाबाद	मेकेनिकल इंजीनियरिंग उपस्कर
351	उत्तर प्रदेश	गाज़ियाबाद	गाज़ियाबाद	पेकेजिंग सामान
352	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर	गोरखपुर	पावरलूम
353	उत्तर प्रदेश	हथरस	हथरस	शीटवर्क (ग्लोब लैम्प)

354	उत्तर प्रदेश	झांसी	झांसी	पावरलूम
355	उत्तर प्रदेश	कनौज	कनौज	परफ्यूमरी और एसेंशियल तेल
356	उत्तर प्रदेश	कानपुर	कानपुर	सैडली
357	उत्तर प्रदेश	कानपुर	कानपुर	सूती हौजयरी
358	उत्तर प्रदेश	कानपुर	कानपुर	चमड़े के उत्पाद
359	उत्तर प्रदेश	मिरठ	मिरठ	खेल उत्पाद
360	उत्तर प्रदेश	मिरठ	मिरठ	कैंची
361	उत्तर प्रदेश	मुरादाबाद	मुरादाबाद	ब्रासवेयर
362	उत्तर प्रदेश	मुजफ्फर नगर	मुजफ्फर नगर	चावल मिल
363	उत्तर प्रदेश	सहरानपुर	सरहानपुर	चावल मिल
364	उत्तर प्रदेश	सहरानपुर	सहरानपुर	लकड़ी का काम
365	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	वाराणसी	शीटवर्क (ग्लोब लैम्प)
366	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	वाराणसी	पावरलूम
367	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	वाराणसी	कृषि उपकरण
368	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	वाराणसी	बीजली का पंखा
369	उत्तरांचल	देहरादून	देहरादून	मिनियेचर वेक्यूम बल्ब
370	उत्तरांचल	हरिद्वार	रुरकी	सर्वे उपकरण
371	उत्तरांचल	उधम सिंह नगर	रुद्रपुर	चावल मिल
372	पश्चिम बंगाल	बंकुरा	बरजोरा	मछली पकड़ने का हुक (जानकारी बाकी)
373	पश्चिम बंगाल	एचएमसी और बाली मुनसिपल क्षेत्र	हावड़ा	फाउंड्री
374	पश्चिम बंगाल	हावड़ा	बरगद्धिया, मानसिंहपुर, हंतल, शाहदत पुर और जगतबलावपुर	लॉक
375	पश्चिम बंगाल	हावड़ा	एचएमसी और बाली मुनसिपल क्षेत्र सिवोक रोड	स्टील रिं-रोलिंग
376	पश्चिम बंगाल	हावड़ा	दोमजुर	नकली और सच्चे जवाहरात
377	पश्चिम बंगाल	कूच विहार	कूच विहार - I, तुफानगंज, माथाबंधा, मेखलीगंज	सितलपति/फर्नीचर
378	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	वेलिंगटन, खानपुर	बिजली के पंखे
379	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	सोवाबाजार, कोसीपुर	हौजयरी
380	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	मेतियाबुर्ज, वार्ड नं. 138 से 141	सिले-सिलाए वस्त्र
381	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	तिलजला, टोपसिया, फूलबागान	चमड़े के उत्पाद
382	पश्चिम	कोलकाता	दासपारा (उल्टाडांगा), अहीरीतोला	दाल मिल

	बंगाल			
383	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	तलताला, लेनिन, सारणी	मेकेनिकल इंजीनियरिंग उपकरण
384	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	बोबाज़ार, कालीघाट	लकड़ी के उत्पाद
385	पश्चिम बंगाल	नाडिया	मतियारी, धर्मादा, नाबाडविप	बेल/धातु के बर्तन
386	पश्चिम बंगाल	नाडिया	राजघाट	पावरलूम
387	पश्चिम बंगाल	पुरुलिया	जालदा प्रोपर, पुरुलिया, बेगुनकोदर और तानसी	हाथ के औजार
388	पश्चिम बंगाल	दक्षिण 24 परगना	कल्याणपुर, पुरुंदरपुर, धोपागच्छी	शल्य संबंधी उपकरण

परिशिष्ट

मास्टर परिपत्र
माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को उधार

मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची

सं.	परिपत्र सं.	तारीख	विषय	पैराग्राफ सं.
1.	<u>ग्रामाकृष्ण. एसएमई एंड एनएफएस.बीसी. सं.53/ 06.02.31/2011-12</u>	04.01.2012	एमएसएमई उधारकर्ताओं को ऋण आवेदन की प्राप्ति-सूचना जारी करना	खंड IV -4.1
2.	<u>ग्रामाकृष्ण. एसएमई एंड एनएफएस.बीसी. सं.19/ 06.02.31/2011-12</u>	12.09.2011	रुग्ण एसएमई इकाइयों के पुनर्वास हेतु दिशानिर्देश	खंड IV -4.7
3.	<u>ग्रामाकृष्ण.एसएमई एंड एनएफएस.बीसी. सं.35/ 06.02.31(पी)/2010-11</u>	06.12.2010	इकाइयों का स्वामित्व – एक ही स्वामित्व के अंतर्गत दो या उससे अधिक उपक्रम – इकाई की स्थिति	1 (iv)
4.	<u>ग्रामाकृष्ण.एसएमई एंड नएफएस सं.90/06.02.31/ 2009-10</u>	29.06.2010	एमएसएमई पर प्रधानमंत्री उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की सिफारिशें	III – 3.1, 3.2, 4.15
5.	<u>ग्रामाकृष्ण.एसएमई एंड एनएफएस.बीसी. सं.79/ 06.02.31/2009-10</u>	06.05.2010	माइक्रो और लघु उद्यम (एमएसई) हेतु ऋण गारंटी योजना की समीक्षा के लिए कार्य-दल - एमएसई को संपार्शिक रहित ऋण	IV – 4.2, 4.19
6.	<u>ग्रामाकृष्ण.एसएमई एंड एनएफएस सं.9470/ 06.02.31(पी)/2009-10</u>	11.03.2010	माइक्रो और लघु उद्यम (एमएसई) क्षेत्र को संमिश्र ऋण स्वीकृति	IV – 4.3
7.	<u>ग्रामाकृष्ण.एसएमई एंड एनएफएस सं.5984/ 06.04.01/2009-10</u>	01.12.2009	माइक्रो और लघु उद्यम क्षेत्र को ऋण उपलब्धता	IV – 4.9 (iii)
8.	<u>ग्रामाकृष्ण.एसएमई एंड एनएफएस सं.13657/ 06.02.31(पी)/2008-09</u>	18.06.2009	पीएमइजीपी के अंतर्गत वित्तपोषित इकाईयों को संपार्शिक रहित ऋण	IV – 4.2
9.	<u>ग्रामाकृष्ण.एसएमई एंड एनएफएस सं.102/06.04.01/2008-09</u>	04.05.2009	माइक्रो और लघु उद्यम क्षेत्र को ऋण प्रदान कराना	IV – 4.9 (ii)
10.	<u>ग्रामाकृष्ण.एसएमई एंड एनएफएस सं.12372/06.02.31(पी)/2007-08</u>	23.05.2008	ऋण सहलग्र पूंजी सब्सिडी योजना	IV – 4.11
11.	<u>ग्रामाकृष्ण.पीएलएनएफएस. बीसी.सं.63/06.02.31/ 2006-07</u>	04.04.2007	माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराना-माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमई) अधिनियम,2006 लागू करना	I
12	<u>ग्रामाकृष्ण.पीएलएनएफएस. बीसी.सं.35/06.02.31/2005-06</u>	25.08.2005	माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम को ऋण बढ़ाने हेतु नीतिगत पैकेज - केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा(निजी क्षेत्र के बैंकों, विदेशी बैंकों तथा क्षेत्रावैंकों के	IV – 4.13.1

			(लिए)	
13.	<u>ग्रामकृषि.पीएलएनएफएस.</u> <u>बीसी.सं.31/06.02.31/2005-06</u>	19.08.2005	माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम को ऋण बढ़ाने हेतु नीतिगत पैकेज - केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा (सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए)	IV – 4.13.1
14.	ग्रामकृषि.पीएलएनएफएस. बीसी.सं.101/06.02.31/ 2004-05	20.05.2005	लघु उद्यम वित्तीय केन्द्रों (एसइएफसी) हेतु योजना	II – 2.2
15.	ग्रामकृषि.पीएलएनएफएस. बीसी.61/006.02.31 (डब्ल्यूजी)/2004-05	08.12.2004	लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण उपलब्धता पर कार्यकारी दल - प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र की बाध्यताओं में कमी के स्थान पर सिडबी का व्याज दर	III – 3.3
16.	<u>ग्रामकृषि.पीएलएनएफएस.</u> <u>बीसी.43/06.02.31/2004-05</u>	26.10.2004	लघु उद्योग क्षेत्र से संबंधित प्रतिभूतिकृत आस्तियों में बैंकों द्वारा निवेश	II – 2.1
17.	ग्रामकृषि.पीएलएनएफएस. बीसी.28/06.02.31 (डब्ल्यूजी)/2004-05	04.09.2004	लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण उपलब्धता पर कार्यकारी दल	IV – 4.12.3
18.	ग्रामकृषि.पीएलएनएफएस. बीसी.39/06.02.80/2003-04	03.11.2003	लघु उद्योग को ऋण सुविधाएं - संपार्श्चक मुक्त ऋण	IV – 4.2
19.	ग्रामकृषि.पीएलएनएफएस. 1/06.02.28(i)/2003-04	01.07.2003	एसएसी बैठक कार्यविनियोगों का कार्यान्वयन - समूहों की पहचान	IV – 4.10 (i)
20.	ग्रामकृषि.पीएलएनएफएस. बीसी.24/06.02.77/2003-04	04.10.2002	लघु उद्योग को ऋण उपलब्ध कराना - ऋण आवेदनों के निपटान हेतु समय-सारणी	IV – 4.1
21.	डीबीओडी.सं.बीएल.बीसी. 74/22.01.001/2002	11.03.2002	सामान्य बैंकिंग शाखाओं का विशेषीकृत लघु उद्योग शाखाओं में परिवर्तन	IV – 4.4
22.	ग्रामकृषि.पीएलएनएफएस. बीसी.57/06.04.01/2001-02	16.01.2002	रुण लघु उद्योग इकाइयों के पुनर्वास हेतु दिशा-निर्देश	IV – 4.6
23.	आईसीडी.सं.5/08.12.01/ 2000-01	16.10.2000	लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण उपलब्धता-मंत्रियों के समूह का निर्णय	IV – 4.5 अंतिम पैरा
24.	ग्रामकृषि.पीएलएनएफएस. बीसी.89/06.02.31/98-99	14.06.1999	लघु एवं अनुषंगी औद्योगिक उपकरणों को विलंबित भुगतान पर व्याज अधिनियम, 1998	IV – 4.12.2 (ii)
25.	ग्रामकृषि.पीएलएनएफएस. बीसी.22/06.02.31(ii)/98-99	28.08.1998	लघु उद्योग पर उच्च स्तरीय समिति- कपूर समिति-सिफारिशों का कार्यान्वयन	IV – 4.12.1
26.	ग्रामकृषि.प्लान.बीसी.38/ 04.09.09/94-95	22.09.1994	विदेशी बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार	III – 3.3
27.	ग्रामकृषि.पीएलएनएफएस. बीसी.84/06.02.12/93-94	07.01.1994	केवीआइ क्षेत्र को बैंक ऋण - प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र का अग्रिम	I – 1.1